कामकाजी महिला

वर्ष 3 अंक 2 दिसम्बर, 1990 मूल्य : 2 रु०

सोवियत संघ की बहनों को क्रांति-दिवस ७ नवंबर पर हमारा क्रांतिकारी अभिवादन

समूचे भारत की कामकाजी महिलाएँ अक्टूबर क्रांति दिवस के अवसर पर अपनी शुभकानाएँ भेजती हैं। । सर्वहारा क्रांति की गौरवशाली यादें, इसमें मजदूर वर्ग एवं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कामकाजी महिलाओं की भव्य भूमिका हमें न केवल ज्ञानवर्द्धित करती हैं, अपितु अपने यहां की बुर्जुआ-भूमिपति व्यवस्था को परास्त करने की प्रेरणा भी देती हैं। कामकाजी महिलाओं के हितों के हिमायती का० लेनिन ने अक्टूबर क्रांति में महिलाओं के योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। एकदम दृढ़ लहजे में उन्होंने कहा था, "महिलाओं के बिना क्रांति सफल नहीं हुई होती।" उन्होंने 1942-45 के दौरान जर्मनी के नात्सी हिटलर के खिलाफ युद्ध में सीमा पर अहम भूमिका तो अदा की है, देश के उत्पादन में अपना सबल सहयोग देकर भी उसे इस काबिल बनाया कि क्रांतिकारी सरकार व सर्वहारा शासन सुरक्षित रह सका। हम भारतीय जोया और नताशा जैसी वीरांगनाओं को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर नात्सी सैनिकों को हराने में मदद की। लेनिन ने 1914 की रूसी क्रांति में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रोटी, उच्चत्तर मजदूरी और शांति की मांग करती हुई, फैक्टरियों से सीधे सड़क पर उतर आने वाली नारियों की भी स्तुति की है। हमें उन दो लालपताकाधारी लड़कियों पर फ़ख्र आता है जो कोसैक बटालियनों में निर्भीकता पूर्वक घुस आईं कि वे आम लोगों पर, अपने भाइयों पर गोली न चलाएँ। कोसैक लौट गए और मजदूरों ने नारा लगाया "कोसैक्स जिन्दाबाद।" लेनिन का कहना था, "कामकाजी महिलाएं जो दलितों में भी सबसे दलित हैं मुक्ति के व्यापक मार्ग से दरकिनार नहीं हो सकतीं" और "वे मजदूर वर्ग की महानतम संचित निधि है," "सर्वहारा क्रांति का भाग्य इसी पर निर्भर करेगा कि यह

[शेष पृष्ठ 23-24 पर]

इस अंक में

सोवियत संघ की बहनों को क्रांति-दिवस 7 नवंबर पर हमारा क्रांतिकारी अभिवादन	2
क्या गर्भधारण विकलांगता है ?	3
उड़ीसा में आई. सी. डी. एस. का कार्यान्वयन	4
महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ अत्याचार पर उड़ीसा में विचार-गोष्ठी	5
एयर इंडिया : नैतिकता की शव-परीक्षा	8
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मस्जिद पर हमले की भर्त्सना की	9
आंगनवाड़ी गतिविधियां	10
झिलमिल धागे	12
बच्चे लातिनी अमरीका की गलियों में	15
हमने आजादी के लिए बहुत लंबा इन्तजार किया है	16
प्रधान न्यायाधीश ने अपनी महिला-विरोधी टिप्पणियां वापस लीं	18
काम पर महिलाएँ—अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े गिरावट दर्शाते हैं	19
सांप्रदायिक स्थिति के खिलाफ कार्रवाई समिति बनी	19
का. बी. टी. आर. की प्रेरणाओं से रंग लाने लगा है आंगनवाड़ी आंदोलन	20

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

क्या गर्भधारण विकलांगता है?

कामकाजी महिला के पिछले अंक में हमने 'बैंक महिलाओं पर एक और हमला' शीर्षक से एक रचना प्रकाशित की थी। पर हमले अन्य जगहों पर भी हो रहे हैं। नीचे बीमा निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा अपने साथियों को 'क्या गर्भावस्था विकलांगता है' नामक शीर्षक से जारी सूचना प्रकाशित की जा रही है। यह हमारे कर्मचारियों को सोचने की कुछ खुराक शायद दे सके।

"कुछ वर्ष पहले प्रवासी कानूनों को कठोर बनाने के प्रयास में इंगलैंड के गृह विभाग ने सभी एशियाई एवं अन्य अश्वेत महिलाओं के लिए 'कौमार्य जांच' (वर्जिनिटी टेस्ट) की एक अनिवार्य प्रथा की शुरुआत की। भारतीय सरकार ने इस अभद्रता का तीखा विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उन बेसहारा महिलाओं को जबर्दस्ती यातना देने की कोशिश कर रही है जो अपने परिवारों के पास इंगलैंड जाना चाहती हैं। परन्तु यह घिनौनी प्रथा चलती रही चूंकि ब्रिटिश सरकार अपनी जगह से हिली नहीं।

इसी ब्रिटिश परम्परा को एक अन्य रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के दक्षिणी क्षेत्र का कमान संभालने वाले सामंतों ने लागू करने की पहल की है। निर्देश जारी किए गए हैं कि हर महिला उम्मीदवार, विवाहित अथवा अविवाहित, नियुक्ति के समय शारीरिक जांच (पैथोलॉजिकल टेस्ट) करवाए कि वह गर्भवती है या नहीं। हमारे इस देश में युवकों युवतियों की विशाल बेकार सेना को एक काम पाने के लिए कितनी फजीहतों से गुजरना पड़ता है। हर मालिक बेरोजगारों की जिन्दगी को ज्यादा से ज्यादा दयनीय बनाने के नये-नये तरीके ईजाद करता है, पर एल. आई.सी. जो सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान है, के शारीरिक जांच की अनिवार्यता का निर्देश तो सबसे बाजी मार ले गया। हमारे देश में गहरी जमी सामंती प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं ने एल. आई. सी. की मानसिकता को भी जकड़ रखा लगता है तभी तो वे ऐसे-ऐसे पुरातनपंथी नियम लेकर आते रहते हैं।

क्या गर्भावस्था विकलांगता है? कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं शारीरिक कार्य सहित सभी काम करने में सक्षम हैं लेकिन एल. आई. सी., जो अपने ही बनाये कवच में दुबका रहता है, इन फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है और गर्भवती नारियों की नियुक्ति को प्रसव के तीन महीने बाद तक टालने पर आमादा है। स्पष्टतः यह महिला कर्मचारियों की कुछ अधिकारगत सुविधाओं को नकारने की साजिश है और हमारा समाज सुनते हैं कि समता और कानून पर आधारित है।

और इससे भी ज्यादा रोषजन्य बात है इन नाजुक मामलों पर भी अफसरशाही का मुंहलटकाऊ रवैया। जब यूनियन ने दक्षिण क्षेत्र द्वारा जारी निर्देशों की वैधता को चुनौती दी, प्रबंधन की ओर से जवाब आया कि अविवाहित महिलाओं को गर्भवती बनने से कौन रोकता है। हमने तर्क दिया कि भारत में प्रचलित सामाजिक मूल्य ऐसे नहीं हैं कि अविवाहित नारियों पर गर्भवती होने का शक किया जाए और इस जांच से गुजरने वाले उम्मीदवारों पर व्यर्थ मानसिक बोझ पड़ेगा। पर इसका कोई असर उनपर नहीं हुआ।

अधिकारियों के इस रवैये से क्रुद्ध होकर हमने मामले को द० केन्द्रीय क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ-साथ हमने एड्वा की मदद ली कि वे प्रबंधन के जिद्दीपन को अपने स्तर पर उठाएं। यशवतपुर शाखा की का. पी वत्सला 8-9 सितंबर '90 को बंगलोर में हुए एड्वा सम्मेलन इस मुद्दे पर बोलीं। सम्मेलन ने निर्देशों की निंदा करते हुए तथा उनको वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव अविलंब पारित किया। 20 सितम्बर 1990 को सहायकों की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की मेडिकल जांच और इस संदर्भ में प्रबंधन की विवेकशून्य जिद को देखते हुए हमारे पास आंदोलन की धमकी देने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया था।

सौभाग्यवश बुद्धिमानी के परामर्श अंततः माने गए और दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय ने निर्देशों को वापस ले लिया तथा मेडिकल जांच 20 तारीख को विवाहित महिलाओं की भी गर्भ-परीक्षा के बिना समाप्त हुई।

हमारा मानना है कि किसी भी सभ्य समाज में मातृत्व को गौरवपूर्ण माना जाना चाहिए चूंकि मानव

[शेष पृष्ठ 7 पर]

उड़ीसा में आई सी डी एस का कार्यान्वयन
संसद में प्रश्नोत्तर

श्री जगदीश जानो

क्या कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि—

(क) समन्वित बाल विकास की कितनी योजनाएं कार्यान्वयन में हैं ?

(ख) क्या सरकार ने 1990-91 में उड़ीसा के लिए नई विकास योजनाएं स्वीकृत की हैं ?

(ग) यदि हां तो उनके कार्यान्वयन में कितनी राशि आवंटित हुई है ?

(घ) उड़ीसा में उन्हें लागू करने के लिए विश्व बैंक का कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा ? और

(च) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ।

जवाब

श्रम व कल्याण मंत्री श्री राम विलास पासवान

(क) केन्द्रीय तत्वावधान में समन्वित बाल विकास सेवाओं की उड़ीसा में 1989-90 तक की कुल परियोजनाएं 154 हैं ।

(ख) नहीं, महाशय ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

(घ) वाशिंगटन में 11-18 मई 1990 के बीच विश्व बैंक प्रतिनिधियों के साथ बहु-राज्यीय आई सी डी एस योजनाओं को आंध्र-प्रदेश तथा उड़ीसा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों पर बात-चीत हुई थी । ये प्रस्ताव उड़ीसा के कुल 191 प्रखंडों को अपनी परिधि में लेते हैं । लेकिन परियोजनाओं की भारत सरकार ने अभी तक अंतिम स्वीकृति नहीं दी है ।

अध्यक्ष : हां श्री लेन्का

श्री काहनू चरण लेन्का :—महोदय, आई सी डी एस बाल विकास तथा बाल कल्याण की एक व्यापक योजना है और इसका उद्देश्य कुपोषण दूर करना एवं पहले छः वर्षों में उन्हें उचित स्वास्थ्य-देखभाल मुहैय्या करना है। आई सी डी उस के वर्तमान अनुदानों में आंगनवाडी केन्द्रों के निर्माण, स्टाफ के लिए क्वार्टर आदि बनवाने की कोई व्यवस्था, कोई योजना नहीं है । महोदय, शायद आपको ज्ञात हो कि उड़ीसा में आई सी डी एस परियोजनाओं को सिर्फ महिलाएं चलाती हैं···और यदि घरों के निर्माण की व्यवस्था नहीं होगी तो वे कैसे कार्य कर सकती हैं ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या विश्व बैंक की वर्तमान योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्वार्टर बनाने की व्यवस्था है या निरीक्षकों तथा गांव में काम करने वालों के लिए आवास की सुविधा की कोई संभावना है, अगर नहीं तो क्या सरकार आवास मुहैय्या कराने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री बसंत कुमार दास :—माननीय मंत्री कृपया यह बताएं कि 1987-88 वर्ष में कालाहांडी जिले में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता कार्यरत थे और अभी कितने हैं और क्या सरकार के पास इस जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

मान्य मंत्री कृपया यह भी बताएं कि इन संस्थाओं को आपूर्ति खाद्य सामग्री आदि कोई समाजसेवी संस्था के जरिए आती है या सरकारी कोष से सामग्री का खर्चा वहन किया जाता है । इस संदर्भ में मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि कालाहांडी जिले का परिवहन एजेंट कौन है और क्या सरकार को एजेंटों को मुहैय्या किए जा रहे दाल, चावल आदि के हर थैले में कुछ कमी की शिकायत मिली है या इसकी ही की एजेन्टों द्वारा आपूर्ति खाद्य-सामग्री आदमियों के खाने योग्य नहीं होती । यह एक चीज है । फिर आंगनवाड़ी कर्मचारियों का निश्चित वेतन मान क्या है ? क्या यह संग्रह करने, पकाने और बर्तन साफ करने का खर्चा पूरा करने के लिए पर्याप्त है ? सरकार कालाहांडी में स्थिति सुधारने के बारे में क्या सोचती है ?

[शेष पृष्ठ 7 पर]

महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ अत्याचार पर उड़ीसा में विचार गोष्ठी

कुमुदिनी बेहरा

महिलाओं तथा बालिकाओं पर ढाए जा रहे जुल्मों पर महिला एवं बाल विकास एवं पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में उड़ीसा में 15 सितम्बर 1990 को शैलाबाला महिला महाविद्यालय, कटक में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। डा० जागमाया पटनायक संचालक थे और न्यायमूर्ति युगलकिशोर महांती मुख्य अतिति। ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. की सदस्या का० कुमुदनी बहरा ने अपने संगठन की ओर से विचार गोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने गोष्ठी में एक रिपोर्ट पेश की तथा बहस में भी हिस्सा लिया नीचे रिपोर्ट के अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं—सपादिका।

हमारे देश की वर्तमान स्थिति का सार इतना है कि पूंजीपति-भूमिपति शासन के तहत कट्टरपंथी, अलगाववादी, आतंकवादी ताकतों द्वारा मासूम लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार उड़ीसा एवं भारतीय समाज की एक ज्वलंत समस्या हैं। हर उम्र की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती जा रही हिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक प्रमुख विशेषता हो गई है। हमारे समाज में महिलाएं तरह-तरह के शोषण की शिकार हैं। दहेजहत्या, बलात्कार, पत्नी-ताड़ना, नारी भ्रूणहत्या, वेश्यावृत्ति यौनाचार, छेड़-खानी और अपमान की घटनाएँ जो संचार माध्यमों से प्रकट होती हैं उस शोषण की जबर्दस्त गहराई की सतह भर हैं। मध्यवर्गीय महिलाओं का मुख्य कार्य अपने बच्चों, और अपना परिवार एवं घर की देखभाल करना है। अपनी जीविका एवं वित्तीय सहायता के लिए वे पुरुषों पर पूरी तरह अवलंबित हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में उन्हें उच्चस्तर शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उन्हें सामाजिक चेतना के विकास के अवसर नहीं मिलते। महिला शोषण की मुख्य वजह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ही है और बिना इस स्थिति में बदलाव के महिला अत्याचार कम नहीं किए जा सकते। अतः पहला एवं सर्वप्रमुख कार्य है इस ढांचे में रद्दोबदल।

हमारे देश में जनवादी आन्दोलन मुफलिस है तथा महिलाओं की हिस्सेदारी भी नगण्य हैं। अपनी सामाजिक समस्याओं के अलावा हमें और भी जमकर जनवादी प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। वर्ग विभाजित समाज में मजदूर वर्ग की असंख्य समस्याओं के अलावा कामकाजी महिलाओं की खास समस्याएं भी हैं। आमतौर पर मजदूरों को वेतन, बोनस डी. ए., घर भत्ता आदि के लिए सरकार से लड़ना होता है। और यह उनकी तमाम जरूरतों व समस्याओं का अंत नहीं है। इन समस्याओं के अलावा, प्रसूती सुविधा, पालना, समान काम के लिए समान वेतन, नियुक्ति के स्थानों में कुछ अपमानकारी शर्तों के खिलाफ लड़ाई आदि जैसी भी जरूरतें हैं। फिर नारी होने के नाते उसकी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं इस बुर्जुआ जमींदार शासनतंत्र में कामकाजी महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। हालांकि सविधान में समान वेतन, मातृत्व का पवित्र अधिकार, संपत्ति पर समान अधिकार जैसी चीजों का प्रावधान है, लेकिन वास्तव में इन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

यह एक तथ्य है कि हमारा प्रदेश शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। कुल साक्षरता 34 प्रतिशत है, तथा महिलाओं का रोजगार 21 प्रतिशत से भी कम है। महिलाओं का रोजगार बढ़ तो रहा है पर बड़ी धीमी दर से। कृषि क्षेत्र में 77 प्रतिशत महिलाएं लगी हुई हैं। चूंकि वे असगठित और अनपढ़ हैं, उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। साल के छः महीने उन्हें बेकार पड़ी रहना होता है! आधुनिकीकरण, नए तकनीकों के प्रयोग की वजह से महिलाओं को काम से बाहर कर दिया जाता है, काम की कोई सुरक्षा नहीं पालना सुविधा या किंडरगार्टन, या छात्रावास की सुविधाएं भी नहीं हैं। कमजोर ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा श्रम शक्ति की अकर्मण्यता महिला शोषण के अन्य कारण हैं।

बुर्जुआ समाज में काम का स्वरूप चाहे एक हो पर महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। सरकारी संस्थाओं को छोड़कर हर क्षेत्र मे महिला व पुरुषों के बीच में वेतन की विभिन्नता है। चमड़ा फैक्टरी, निर्माण

कार्य, पत्थर तोड़ने के कार्य तथा खेती में कार्य भार बराबर होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ वेतन में भेदभाव बरता जाता है। समान मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता।

दहेज प्रथा महिला विरोधी हिंसा की एक अन्य जड़ है। यह एक सामाजिक कुरीति है। इसे नारे या प्रचार से खत्म करना संभव नहीं। हलांकि सरकार ने 1961 में "दहेज प्रतिबंध अधिनियम बनाया है, पर यह कागजों में ही गुम है। समाज में आम चेतना की रचना के बिना दहेज प्रथा नष्ट नहीं होगी और महिलाओं की दयनीयता भी कम नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि नेताओं, सरकारी एजेंसियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही इस गहरी बैठी बुराई के खिलाफ [illegible] हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं के मुद्दों पर पहला विस्तृत विचार "कमेटी फॉर स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया" (1971) ने किया जिसने अपनी विशाल रिपोर्ट समता की ओर, (1975) में दीगर चीजों के अलावा विद्यमान कानूनों को पुनरीक्षित करने की अनुशंसा की ताकि महिलाओं पर की जा रही हिंसा उन्मूलित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975-85) में नारियों की स्थिति में सुधार के कार्यक्रम तेज हुए। हाल के वर्षों में, परस्पेक्टिव प्लान फॉर वीमेन (1980-2000) महिला के विषय में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वरोजगारी महिलाओं (तथा अनौपचारिक क्षेत्र) पर श्रम शक्ति रिपोर्ट आदि के आने से स्वस्थ देशव्यापी बहस भारत जैसे जनवादी देश में महिलाओं की विषम व असुरक्षित स्थिति के प्रश्न के इर्द-गिर्द उभरी।

समाज में न केवल महिलाएं आपितु बच्चियों पर भी तरह-तरह के शोषण का बोझ है। बच्चियाँ खेतों, फैक्टरियों में काम करती आ रही हैं और उनकी संख्या दिनों-दिन बढ़ ही रही है। 1971 से 1981 के दशक में बच्चे 8 प्रतिशत हैं जबकि बच्चियां 30 प्रतिशत। पर उड़ीसा में यह अनुपात 10 और 79 प्रतिशत का है और 15 से 19 वर्ष की आयु सीमा की बच्चियों को बलात्कार, छेड़खानी तथा शारीरिक यंत्रणाएं हर जगह-शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों, गलियों तथा आम जगहों पर झेलनी पड़ती है। उचित कानूनी प्रावधान तथा स्वयं सेवी कार्यक्रम के बच्चियों का उत्पीड़न खत्म करने की जरूरत है।

हलांकि महिलाओं की पीड़ाओं को दूर करने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कानून पारित किए हैं लेकिन वस्तुतः इनका उचित पालन नहीं होता है।

सुझाव :—महिला जनों के विरूद्ध हिंसा पर काबू करने के लिए अग्रांकित कदम उठाए जा सकते हैं :—

1. महाराष्ट्र रेग्यूलेश्न ऑफ यूस ऑफ पेरेन्टल डॉयग्नॉस्टिक टेक्नीक्स, 1988 की तर्ज पर एक सामान्य केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

2. स्वयं सेवी संस्थाओं को जुटाकर वेश्याओं तथा दिग्भ्रमित महिलाओं के लिए संरक्षण एवं सुधारगृह बनाये जाने चाहिएं।

3. दुराचार (यौन) एक वैवाहिक अपराध हो न कि आपराधिक अपराध, जैसा कि अभी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 पति को पत्नी पर यौनाचार करने वाले को दंडित करने का अधिकार देती है पर यह महिलाओं को उन महिलाओं को दंडित करने का अधिकार नहीं देती जिन्होंने उनके पति के साथ यौनाचार किया है। भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर पत्नी को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए।

4. ऊपर से नीचे तक कार्यान्वियन एव संचालन मशीनरी को महिला-अत्याचारों का मुकाबला करने के लिये चुस्त बनाया जाए।

5. दहेज प्रतिबंध कानून की असफलता का एक विस्तृत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए।

6. सभी संप्रदायों के लिए सामान्य नागरिक सहिता कानून बनाने के लिए एक देशव्यापी बहस की शुरूआत की जाए।

7. हर राज्य में पारिवारिक कोर्ट बनाये जाएं।

8. कानूनी चेतना, कानूनी सहायता तथा परिवार-परामर्श के लिए कैम्प आदि का आयोजन स्वयं सेवी संस्थाओं को करना चाहिए।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला, ब्लाक स्तर तक जोड़कर महिलाओं तथा बच्चियों पर अत्याचार का मुकाबला किया जाए।

इनके अलावा ये सुझाव भी विचार योग्य हैं :—

1. संपत्ति पर संयुक्त अधिकार के लिए कानून बनाया जाए।

2. काम का अधिकार बुनियादी अधिकार माना जाए और प्रतिदिन आठ घंटे की अवधि कड़ाई से लागू की जाए।

3. समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रोन्नति, प्रशिक्षण और व्यवहार में कोई पक्षधरता न हो।

4. वर्तमान श्रम कानून एवं अन्य कानूनों को सुधारा जाए।

5. कामकाजी महिलाओं को पालना तथा किंडर-गार्डन की सुविधाएं दी जायें। इस संदर्भ में उपयुक्त कानून बनाए जाएं।

6. चार-महीनों की अवधि के लिए प्रसूति सुविधा तथा प्रसव के पहले एवं बाद की अवधि में 500/ का लाभ दिया जाए।

7. सभी निकायों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि सरकार उपयुक्त सुझाओं पर अमल करने के उपाय करे तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकी जा सकती है। यह सिक्के का एक ही पहलू है। हलांकि कानूनी सुधारों, सुविधाओं की सख्त जरूरत है, महिलाओं तथा बच्चियों के पलायन के बारे में आम जन चेतना जागृत करने तथा वर्तमान समाज के मानदंड में पुर्नगठन की आवश्यकता है ताकि पूरा देश बर्बाद और तबाह होने से बच सके।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 10 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

[पृष्ठ 3 का शेष]

जाति की निरन्तरता ही मातृत्व पर आश्रित है। लेकिन मुनाफे पर आधारित समाज में हर चीज मातृत्व भी—मुनाफे की दासी हो जाता है। इस स्थिति में मालिक वर्ग गर्भ—जो एक महिला का गर्व होता है—का भी शोषण करने मे हिचकता नहीं।

हमारी मांग है कि एल. आई. सी. को ऐसी बेहूदा जांच वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहिए और गर्भवती महिलाओं की नियुक्ति को टालने की कुख्यात प्रथा तुरंत बंद कर देनी चाहिए।

[पृष्ठ 4 का शेष]

मेरा सवाल था—1987-88 में कितने केन्द्र थे और 1989-90 में कितने ? मेरी सूचना के मुताबिक 1987-88 में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या ज्यादा थी, अभी कम है। बढ़ने की बजाय संख्या घट गई है।

अन्य प्रश्न आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तय वेतनदर से संबद्ध था और क्या सरकार को यह पर्याप्त जंचता है ?

श्री रामविलास पासवान :—(हिन्दी में) जब आंगन वाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स योजना शुरू की गई तब वेतन तय नहीं किया गया था। फैसला हुआ था कि काम स्वयं-सेवी संस्थाओं के माध्यम से होगा और महिलाओं (वर्करों) को 225 एवं 275 रू० दिये जाएंगे। मैट्रिक से नीचे की महिलाओं का वेतन 225-275 रु० और हेल्परों को हम 210 रु० दे रहे थे।

(यह सही नहीं है कि उन्हें हर राज्य में 110 रु० दिये जा रहे थे—सं०)।

लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारी के दर्जे आदि उसकी मान्यता का सवाल है, उन्हें कभी भी सरकारी कर्मचारियों की हैसियत से नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि वे अशकालिक वर्कर और हेल्पर की तरह नियुक्त किये गए थे। सरकार अब भी उन्हें उसी हैसियत में चाहती है। जहां तक वेतन का प्रश्न है, महंगाई को देखते हुए सरकार मानती है कि वह बहुत कम है। इस पर दो मत नहीं हैं। सरकार इस दिशा में सोच रही है।

मान्य अध्यक्ष :—भोजन का स्तर गिरा हुआ है।

श्री रामविलास पासवान :—जहां कहीं से भी ऐसी शिकायतें आई हैं हम जांच कर रहे हैं तथा दोषियों को दंडित कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य उस खास केन्द्र का नाम बताएं तो जांच का आदेश दिया जा सके।

एयर इंडिया : नैतिकता की शव-परीक्षा

एयर इंडिया की एक विमान परिचारिका सबीना सेठी पिछले दिनों सुर्खियों में रही। उसके उदाहरण से स्पष्ट होता है कि किस तरह विभिन्न जगहों पर कार्यरत महिलाओं का यौन शोषण होता है और और ऐसे मुद्दों को बड़े आराम से दबा देने की कोशिश की जाती है।

सबीना की कहानी इस प्रकार है—21 दिसंबर 1989 को रोम में रुकने पर पर्सर महेश लल्ला ने उस पर कथित तौर से यौन हमला बोला। ऐसा तब हुआ जब उसने उसे देररात पार्टी में जबर्दस्ती शराब पिलाने के प्रयास का प्रतिरोध किया। पार्टी में तीन अन्य एयर इंडिया कर्मचारी थे। अगले दिन सुश्री सेठी से उड़ान निरीक्षक से शिकायत की और 26 दिसंबर को उच्चत्तर अधिकारियों से भी। लेकिन दोनों का कोई जवाब नहीं मिला, उल्टे उसे सुझाव दिया गया कि वह मामले को आगे न बढ़ाए चूंकि यह उसके तथा लल्ला दोनों के लिए खतरनाक होगा। फिर भी, उसे कहा गया कि प्रबंधन मामले की जांच करेगा।

कोई कार्रवाई न होती देखकर उसने 6 जनवरी 90 को पुलिस में शिकायत दर्ज की। यहां काफी देर हुई चूंकि सुश्री सेठी की जांच करने के लिए महिला डाक्टर नहीं थीं। लल्ला व अन्य को गिरफ्तार तो किया गया पर उनको पूर्वानुमानित जमानत के आधार पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने केस को तब वापस ए. आई. प्रबंधन को दे दिया।

पूरा मामला खुले में तब आया जब कुछ महिला संगठनों से मिलकर कई विमान परिचारिकाओं ने 18 अप्रैल को ए. आई. कार्यालय के आगे विरोध-प्रदर्शन किया तथा श्री लल्ला के निलबन की मांग की। उन्होंने मानव संसाधन विकास प्रबधक, ए. आई, श्री एस. आर. गुप्ते को एक ज्ञापन दिया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि श्री लल्ला पर कारंवाई की जाएगी तथा 8 दिन के अंदर चार्ज शीट जारी की जाएगी। लेकिन 26 अप्रैल तक कोई कारंवाई नहीं की गई और श्री गुप्ते ने इससे आगे कुछ भी बोलने से इंकार किया कि, 'मैंने शिकायत प्राप्त की है तथा जांच चल रही है। मुद्दे के सुलझने में कुछ वक्त लगेगा।"

एयर इंडिया की सरकारी लाइन यह लगती है कि ऐसी घटनाओं पर प्रबंधन का नियंत्रण नहीं हो सकता और ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है चूंकि घटना ऑफ-ड्यूटी काल में हुई; यदि ऐसा ऑफिस काल में, आफिस के प्रांगण में होता तो कठोर दंड का प्रावधान यहां तक कि निलंबन हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने इसलिए सेवा-नियमों में संशोधन की माँग की है और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की भी, चूंकि परिचारिकाओं पर यौन-आक्रमण सेवाजनित खतरा है।

यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन में प्रोग्राम सेक्रेटरी सुषमा सागर, जो प्रदर्शनकर्ताओं में एक थीं, कहती हैं, "सेवाजनित खतरों को देखते हुए संबद्ध सेवानियमों में परिवर्तन की जरूरत है। हम महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को गम्भीरतापूर्वक लेने की मांग करती है कि उन्हें चालू वक्तव्य देकर लटका देने की—कि "ऐसी चीजें तो काम पर होती ही हैं, उन्हें गंभीरतापूर्वक मत लीजिए, इससे अपने कैरियर को तबाह होने मत दीजिए, इससे आपकी इज्जत पर आंच आएगी" आदि-आदि।

परन्तु एक बेनाम ए आई अधिकारी ने पूछा, "क्या एयर इंडिया नैतिकता का ठेकेदार हो सकता है ? आखिर हम उद्दंड बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे; वे वयस्क हैं और हम मात्र ऑफिस के समय नियम-कानून लागू कर सकते हैं।" वह तो यहां तक पूछते हैं कि "ए. आई. तस्वीर में कहां आता है ? इसके अलावा कि दो संबद्ध व्यक्ति हमारे कर्मचारी हैं, हमको इससे कोई लेना-देना नहीं है। ऑफिस के बाहर वे क्या करते हैं ये उनका मामला है।"

स्पष्ट है कि ए आई प्रबंधन इस घटना को सुश्री सबीना पर एक व्यक्तिगत हमला मानता है और समझता है यह उन्हीं का सिरदर्द है। यह प्रवृत्ति एक लक्षण है—कामकाजी महिलाओं की यौन-यातना की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया का।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मस्जिद पर हमले की भर्त्सना की

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने की भाजपा, विहिप, आर एस एस, बजरंग दल आदि की कोशिशों की भर्त्सना करती है और उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार को बधाई देती है जिसने बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद न्यूनतम जन-हानि के साथ इन ताकतों की हिंसक कोशिशों को विफल किया है। पहली नवम्बर को दिल्ली में जारी एक संयुक्त बयान में सीटू सचिव पी. के. गांगुली, एटक सचिव के. एल. महेंद्र, एच. एम. एस. सचिव वीरेश्वर त्यागी, टी. यू. सी. सी. उपाध्यक्ष डी. डी. शास्त्री, यू. टी. यू. सी. (लेनिन सारणी) उपाध्यक्ष, प्रीतीश चंदा ने यह बात कही है।

ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा है कि जिस हिंसक तरीके से भाजपा, विहिप, आर. एस. एस. बजरंग दल आदि ने प्रतिबंधित इलाके पर धावा किया और मस्जिद के गुम्बद को तोड़ने की कोशिश की, उससे यह साफ हो जाता है कि उनकी असली मंशा मस्जिद गिराने की थी। उनके इस कुप्रचार का कि, वहाँ कार सेवा शुरू कर दी गयी है, असली मकसद सारे देश में अभूतपूर्व साम्प्रदायिक विस्फोट पैदा करना था। ट्रेड यूनियनों ने आगाह किया है कि ये घोर साम्प्रदायिक ताकतें हिन्दू प्रभुत्व थोपने के लिये साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये जनता को विभाजित करने के लिये और इस तरह हमारे संविधान तथा देश के ही धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के लिये जो खतरनाक चालें चल रही हैं, उनके भारतीय जनता के लिये खतरनाक नतीजे होंगे। आज जब पंजाब, कश्मीर तथा असम में देश को पहले ही पृथकतावादी गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन संगठनों द्वारा खेला जा रहा साम्प्रदायिक खेल, हमारे देश को अस्थिर करने की साम्राज्यवादी ताकतों की कोशिशों के ही फलने-फूलने में मददगार होगा।

ट्रेड यूनियनों ने केन्द्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी बधाई दी है जो देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की हिफाजत करने के सिद्धान्तों पर दृढ़तापूर्वक कायम रही है और जिसने भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ट्रेड यूनियनों ने अपना दृढ़ मत व्यक्त किया है कि इस तरह के विवादों को या तो बातचीत के जरिये निपटाया जा सकता है या फिर अदालत का फैसला स्वीकार करने के जरिये। ट्रेड यूनियनों ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर मस्जिद को गिराने या हटाने के जरिये, राम मंदिर के निर्माण पर भाजपा तथा विहिप से कोई समझौता करने की किसी भी कोशिश का मजदूर वर्ग एकजुट होकर विरोध करेगा। ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय मोर्चे से अपील की है कि इस मुकाम पर सिद्धांतों पर दृढ़तापूर्वक कायम रहे। उनके अनुसार आज देश की एकता तथा अखंडता की हिफाजत करना सबसे जरूरी काम है।

ट्रेड यूनियनों ने उत्तर प्रदेश की जनता को, ट्रेड यूनियनों को और अन्य सभी जनसंगठनों को बधाई दी है जिन्होंने वक्त की चुनौती को स्वीकार किया है। जनता ने 30 अक्टूबर को देश भर में विराट मानव शृंखला कार्यक्रम आयोजित कर और इससे पहले गुजरा सप्ताह साम्प्रदायिक सद्भाव के रूप में मना कर अपनी अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया है। ट्रेड यूनियनों ने उनका आह्वान किया है कि मजदूर वर्ग की एकता को और सुदृढ़ करें और इन फूटपरस्त ताकतों को अलग-थलग करने और देश की एकता तथा अखंडता की हिफाजत करने के लिये संघर्ष को आगे ले जाय।

(पृष्ठ 17 का शेष)

एक एकीकृत, अनस्लवादी जनवादी द० अफ्रीका में आम वोटर सूची पर आधारित सर्वव्यापी चुनाव।

निष्कर्ष के तौर पर मैं अपने ही वे शब्द उद्धृत करूँगा जो 1964 में मेरे मुकद्मे के दौरान आये थे। वे आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने तब थे। उदाहरण :

"मैं श्वेत प्रभुत्व तथा अश्वेत प्रभुत्व दोनों के खिलाफ लड़ा हूँ। मेरे आदर्श रहे हैं एक जनवादी व मुक्त समाज जहाँ सारे व्यक्ति सौहार्द्र व समान अवसर के साथ रह सकें। यह ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना और जिसे मैं पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यह ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी प्रस्तुत हूँ।"

मैं आशा करता हूँ कि आप शान्तिमय व शालीन ढंग से बिखरेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे कि दूसरे लोग कहें कि अपने लोगों को काबू में नहीं रख सकते।

आंगनवाड़ी गतिविधियां

जोधपुर

आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का प्रथम जिलास्तरीय सम्मेलन 17 नवम्बर को का. बी टी रणदिवे नगर दुर्गावाड़ी, जोधपुर में सम्पन्न हुआ। इसमें जोधपुर, लूणी, शेरगढ़ वायफलोदी, बैतारण वसिरोही आदि से आयीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने भाग लिया।

सम्मेलन की अध्यक्षता जसपाल कौर, कंचन बापना, छाया बारठ, दुर्गादेवी, कमला वैष्णव रतनकंवर, पवन शर्मा, लीला भाटी तथा चंद्रकला के नौ-सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने की। जिलाध्यक्ष जसपाल कौर के स्वागत भाषण के बाद एडवोकेट महेश बोडा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आंगनवाड़ी महिलाओं को न केवल अपनी आर्थिक मांगों बल्कि समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। संघर्षशील तबका होने की वजह से आंगनवाड़ी महिलाओं के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, ऐसा मत व्यक्त करते हुए उन्होंने सम्मेलन को सफलता की शुभकामनाएं दीं।

इसके बाद जिला सचिव आशा सक्सेना ने साल भर के कार्यों तथा भावी कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर हुई बहस में बहनों ने अपने-अपने स्थान की समस्याओं तथा भावी संघर्ष के महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को केन्द्रीय कर्मचारी का दर्जा देने उनके वेतन क्रमशः 600 रु० तथा 400 प्रतिमाह करने की मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव ने साम्प्रदायिक दंगों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने का आह्वान किया।

सम्मेलन को कई मजदूर, कर्मचारी, किसान, विद्यार्थी व युवा संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया।

सम्मेलन में एक 31-सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें जसपाल कौर, आशा सक्सेना व माया देवी सिसोदिया को पुनः क्रमशः अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष चुना गया।

उदयपुर

आंगनवाड़ी कामगार यूनियन, संभाग उदयपुर की एक बैठक 29 दिसम्बर को हुई। इसमें भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौरगढ़, ढूंगरपुर समेत समस्त उदयपुर संभाग की आं. कां. यू. की ग्रुपलीडर्स मौजूद थी।

यूनियन कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स फेडरेशन के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के 1-2 दिसंबर की बजाय 5-6 जनवरी 1991 को उदयपुर में होने की सूचना प्राप्त हो गई है।

बैठक में अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई। अब तक की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें और तेज करने का संकल्प लिया गया।

बैठक से पूर्व जोधपुर से जसपाल कौर, भीलवाड़ा से विमला बाम्बी, गीता चरण, धारियाबाद से मांगी देवी, उदयपुर से पुष्पा शर्मा, सुन्दर देवी स्वर्णकार गिरवा नवंदा अभेटा, बड़गांव से हेमलता, श्रीमाली उदयपुर से रजियाबानो, प्रतापगढ़ से सत्यनारायण व्यास, छोटी तादडी से श्यामा पीतलिया, बांसवाड़ा से अनिता भन्तार, डूंगरपुर से निर्मला जैन व बंशीलाल वैष्णव आदि ग्रुप लीडर्स ने अपने-अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत कीं।

रिपोर्टों के अनुसार आ. का. यू. की समस्त शाखाओं के सांगठनिक सम्मेलन विधिवत रूप से हो गये हैं, सम्मेलन के अवसर पर रैली, जुलूस, घेराव ज्ञापनों के जरिए 'मांग दिवस' मनाए जाने की जानकारियां मिली हैं। जनता से भी भारी आर्थिक व नैतिक समर्थन मिले हैं।

बांसवाड़ा से प्राप्त एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार आ. का. यू. का बांसवाड़ा जिला सम्मेलन 1.12.90 को कुशलबाग में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन आंगनवाड़ी का. यू. के सचिव का. बी. एल. छानवाल ने व अध्यक्षता पत्रकार परिषद के सचिव तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री तरंगी नेकी।

उद्घाटन के पूर्व कुशलगढ़ से श्रीमती कुन्ता देवी, बागीढोरा से शकुन्तला जोशी, पीपलरकूंट से कमला मीणा

तथा गढ़ी से श्रीमती भानुमति ने सम्मेलन के सामने स्थानीय समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट रखीं। उद्घाटन भाषण में का. बी. एल. छानवाल ने आंगनवाड़ी मांगों का विवेचन किया व उन्हें लागू करवाने के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।

सम्मेलन ने राष्ट्रीय सम्मेलन, चालू केन्द्रों को बन्द किए जाने के आदेश के खिलाफ तथा परिवार नियोजन केस में हुई मौत पर प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें अन्तिम केस की बाबत जिलाधीश को दो पत्र भी लिखे जा चुके हैं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए म. स. उदयपुर शाखा की सचिव मंडल सदस्या श्रीमति सोहन देवी ने महिलाओं के खिलाफ बरते जाने वाले विभेद का बखिया उधेड़ा। उनसे लड़ने के लिए नारी जागरूकता की जरूरत को रेखांकित किया गया। महिलाएं कठिन परिश्रम करती हैं, कम वेतन पाती हैं। उन्होंने आगे कहा—अत: अब तो समाज को आंखें खोलकर देखना ही चाहिए कि वे महज घर की शोभा बढ़ाने वाली चीजें भर नहीं हैं।

समापन-भाषण करते हुए स्वतंत्रता सेनानी श्री तरंगी जी ने कहा कि "आपके इस उत्साह को देखकर मैं भाव-विभोर हो गया हूं—स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मैंने पहली बार बांसवाड़ा में अपने अधिकारों के लिए इतनी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखा है, निस्संदेह आपके ये कदम कामयाब होकर लौटेंगे।"

डूंगरपुर में भी का. यू. की एक आम सभा 31 दिसंबर को संपन्न हुई। सभा में अखिल भारतीय सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। सभा में भाग लेनेवाले सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मेलन को अपने भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। सभा में वक्ताओं ने यूनियन को और मजबूत बनाने तथा सदस्यता बढ़ाने तथा सम्मेलन के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की तथा जहां स्थानीय परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कामगारों के शोषण की आलोचना की है वहीं फूटपरस्त अधिकारियों से उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है।

सभा के बाद श्रीमति निर्मला जैन, मणी देवी रौत, नारायणलाल बमात, वी. डी. वैष्णव तथा का. वी. एस. छानवाल समेत आ. का. यू. का एक शिष्टमंडल एक ज्ञापन के साथ स्थानीय परियोजनाओं की अनियमितताओं के खिलाफ क्षेत्रीय उपनिदेशक श्री लक्ष्मी शंकर व्यास से भी मिला। श्री व्यास ने मुद्दों को मिल-बैठकर हल करने का आश्वासन दिया।

सहारनपुर आंगनवाड़ी बंद

इस जिले के कार्यक्रम अधिकारी ने 17-11-90 के एक आदेश के अनुसार माजरी, नन्दनपुर तथा गंगोली गुज्जर—तीन केन्द्रों को समाप्त कर दिया है। वहां नियुक्त कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को भी अतएव काम से निकाल दिया गया।

अधिकारी कारण यह है कि उन इलाकों की जन-संख्या 1000 से कम है और केन्द्र 1000 से ज्यादा वाले क्षेत्र में ही कार्य कर सकते हैं। फिर भी हमारी फौरी मांग यह होगी कि निष्कासित कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को अन्य केन्द्रों पर नियुक्त किया जाए।

इस दिशा में हरद्वार के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने उचित चिंता जाहिर की है। इस आदेश को निरस्त करने के लिए वहां जन आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। इस मुद्दे को केन्द्र भी अपने स्तर पर उठाएगा।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सम्मेलन : तैयारियां

उदयपुर के विभिन्न इलाकों से पहले सम्मेलन की तैयारियों के जोर-शोर से चलने के समाचार प्राप्त हुए हैं। सदस्यों के सूचनार्थ :—

1. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी सम्मेलन अब 5-6 जनवरी 1991 को उदयपुर में होगा।
2. तैयारी समिति की बैठक 5 तारीख को 9 बजे सुबह होगी और सम्मेलन दोपहर के बाद शुरू होगा।
3. सदस्यता शुल्क दो दिनों के लिए 50/- होगा और स्थापना सम्मेलन के लिए 25 पैसे से 1 रु० प्रति सदस्य तैयारी समिति को दिया जाएगा।
4. रिपोर्ट का मसौदा तैयार है तथा सम्मेलन में अंग्रेजी व हिंदी में दिया जाएगा।
5. उदयपुर से चूंकि आरक्षण की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है अत: प्रतिनिधि इस संदर्भ में पूरी सूचना [15 दिसंबर तक भेजने की बात थी] शीघ्रातिशीघ्र भेजें। स्टेशन पर हमारे वालंटियर्स भी मौजूद होंगे।

झिलमिल धागे

लखनऊ के जरी मजदूरों पर एक विस्तृत अध्ययन लखनऊ से सुश्री फरीदा जलीस ने किया है जिसे सेवा सचिव, रेहाना झाबाला के परिचय के साथ सेवा भारत ने प्रकाशित किया है। इस किताब में वास्तविक काम, जिसके बारे में हममें से कई लोगों को जानकारी नहीं है, के बारे में ढेर रुचिपूर्ण स्थापनाएं दर्ज की गई हैं। महिलाओं तथा बच्चों का भयंकर शोषण मालिकों तथा दलालों के लम्बे-चौड़े दावों को झुठलाता दीखता है कि उन्होंने उन्हें काम दिए हैं। 6-7 वर्ष के बच्चों का क्रूर शोषण तथा पर्दा में कैद मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति इस बात के लिए चीखते प्रतीत होते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करे।

सुश्री फरीदा ने जरी उद्योग की सामाजिक-आर्थिक व कार्य-परिस्थितियों को अच्छी तरह उकेरा है। वे इस क्षेत्र में 10 वर्षों से कार्यरत थीं और समाज के सबसे ज्यादा शोषित तबके की स्थिति को प्रकाश में लाने के लिए उन्हें ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों का धन्यवाद मिलना चाहिए।

उद्योग की जटिल स्थिति

जरी कला शुद्ध तौर पर भारतीय उत्पाद है और एक भी आयातित वस्तु की जरूरत नहीं होती। बल्कि जरी को विदेशों में चाहने वाले काफी हैं। अतः इसका एक विशाल विदेशी बाजार है। वस्तुतः रिपोर्ट के मुताबिक जब मजदूरों पर "काम छोड़ने की आफत आ रही थी, जरी तथा जरकारी की वस्तुओं की विदेशी मांगों" ने उद्योग में नई जान फूंकी। जरी व्यवसाय पहले भी और अभी भी बड़ी व्यापारिक ताकतों के हाथ में है और वे मजदूरों का बड़ा बेशर्म शोषण करते हैं। लेखिका ने उचित ही बताया है चूंकि मजदूर पैसे लगाने में, कोआॅपरेटिव की स्थापना या यूनियन के जरिए काम करने में अक्षम है, उन्हें व्यापारियों की मनमानी स्वीकारनी पड़ती है।

जरी उद्योग क्या है ?

जरदारी काम बहुत सूक्ष्म होता है, "सुनहरे, चांदी या कम से कम सोने के धागों से बीच-बीच में रंगीन, कीमती मणि, पत्थर तथा शीशा आदि लगाकर कपड़ों में सुन्दर एम्ब्रॉयडरी की जाती है।" इस तरह कमीज, साड़ी, दुपट्टा, शाल आदि बनाने के लिए मजदूरों को काफी पेचीदा, कठिन काम करना होता है। "सिल्क या मखमल तथा ऊन जैसे कीमती वस्त्रों" का उपयोग किया जाता है। यानि कि काम बहुत नाजुक है, इसमें धैर्य व कला की जरूरत पड़ती है।

दलालों तथा व्यापारियों के संबंध

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जरी उद्योग को असंगठित क्षेत्र में रखा है। और चूंकि उद्योग को चलाने का कोई नियम-विधान नहीं है इसलिए यह सच्चाई भी है। दूसरे, "दलालों तथा व्यापारियों के बीच खतरनाक गठबंधन है, वे बड़े व्यवसायिक घरानों के विकास को निरुत्साहित करते हैं ताकि मजदूर पूरी तरह उन पर निर्भर रहें और और वे मनमाना शोषण करते रह सकें।"

काम के लिए बच्चे तथा ग्रामीण इलाकों के मोहल्ले की मुस्लिम औरतों को लगाया जाना उनकी दुर्दशा का इशारा देता है। वे स्वाभाविक तौर पर बड़े व्यवसायिकों तथा दलालों के शोषण के शिकार होते हैं।

जरी काम की प्रक्रिया

रिपोर्ट कहती है कि जरी काम "चिकन से ज्यादा पेचीदा, कलात्मक और नाजुक होता है। डिजाइनिंग, फ्रेम चढ़ाना, सूई के काम, फिनिशिंग जैसी कई प्रक्रियाएं इससे जुड़ी हैं।" कहा गया है कि मजदूर को ट्रेसिंग वर्क के लिए प्रयुक्त मिश्रण का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, सिगरेट पैक पेपर 4 रु. से 5 रु. किलो मिलता है, उन्हें सतह मिश्रण का खर्चा ढोना पड़ता है तथा खुदाई के विशेष धागे का प्रयोग करना जो 2 से 3 रु. प्रति 'गोला' मिलता है।

ड्रेसिंग प्रक्रिया में सिगरेट पैक पेपर को काटना तथा मोड़ना होता है। विशेष धागों को बांटने में कई घंटे

लगते हैं। रात में इस कार्य के खत्म होने के बाद दिन में सूई का काम होता है। और इस कार्य के लिए उन्हें अधिक से अधिक 2 रु. प्रति कोटि मिलता है। प्रतिदिन की औसत आय—6-7 घंटे काम करने के बाद—2-3 रु. है। गौरतलब है कि जरी कार्य में लगी एकाग्रता तथा मेहनत को देखते हुए मजदूरी एकदम कम है। और मजेदार बात यह है कि एक कोटि जिसके लिए मजदूर को 1-2 रु. मिलते हैं, 25 रु. में बिकता है। व्यावसायिकों को 100 प्रतिशत के करीब मुनाफा होता है जबकि मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता। 'कोटि', 'कामदानी', 'घटार' आदि का पूरा कार्य करने के लिए लंबी प्रक्रिया होती है।

जरी उद्योग—विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत

ताज्जुब की बात है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के एक बड़ा जरिया होने के बावजूद लेखिका के अनुसार, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लखनऊ में सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी उद्योग नहीं है।

मजदूर पूरी तरह महाजनों या दलालों पर निर्भर करते हैं जो उनसे अपनी मर्जी का काम लेते हैं, अपनी मर्जी से पैसे देकर। जरी व्यापार से मुख्य फायदा महाजनों तथा व्यापारियों को होता है। चूंकि किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है, वे बच्चों तथा महिलाओं का अधिकतम शोषण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

महिलाओं का सस्ता श्रम

महिला श्रम का सस्ता होना, जिससे मालिक हमेशा अधिशेष मुनाफा कमाते हैं ही पूंजीवादी तंत्र में उन्हें बहाल करने का मुख्य कारण होता है। इसका सामाजिक प्रवृत्तियों से उतना लेना-देना नहीं है, जितनी लेखिका की अवधारणा है।

पूंजीवादी समाज में मालिक और मजदूर के संबंधों का यही आधार है। मार्क्स ने बहुत पहले लिखा था कि मालिक नारियों को इसलिए नियुक्त करते हैं चूंकि उनका श्रम सस्ते में मिलता है। उन्हें कम पैसा दिया जाता है भले ही ज्यादा देर तक काम लिया जाए। यदि समाज के आम लोग व मजदूर इसके बारे में जागरूक न किए जाएंगे, महिलाओं की स्थिति ऐसी ही रहेगी। इस मुद्दे पर आम संघर्ष की जरूरत है। समाज के मत्थे न मढ़कर मालिक को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। इस अध्ययन में, इसके अलावा महिलाओं का मालिकों के हाथों शोषण अच्छी तरह दिखाया गया है।

मजदूरों को 'जफरी' यानि कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के पैसे दिए जाते हैं। यदि ओवरटाइम किया गया तो भी मात्र पुरुष को ही पैसे मिलेंगे। गांवों से आने वाली महिलाओं को 8 घंटे की दर से पैसा नहीं दिया जाता बल्कि वस्तुदर से दिया जाता है, जो उनकी मजदूरी कम कर देता है। पुरुषों के लिए न्यूनतम नफरी 27/- तथा अधिकतम 47/- है। उसी इलाके से उसी काम में लगी नारियों को 8-10 रु. मिलते हैं और मालिकों का तर्क यह होता है कि "औरतें इस काम को दक्षता से नहीं कर सकतीं चूंकि इस काम में कठिन श्रम तथा कलात्मकता की जरूरत होती है।" पुरुष मजदूरों की सामंती प्रवृत्ति भी यहां दर्शनीय है जब वे कहते हैं कि महिलाओं को काम मिलने से मजदूरी घट जाएगी। कोटि कामों में वस्तुतः ज्यादा महिलाएं हैं। एक और तरह का काम 'मुकेश', जहां मजदूरी तय पर असमान है यानि 15-20/- पुरुषों के लिए और 8-10 महिलाओं के लिए, यद्यपि महिलाएं बेहतर काम करती हैं। लेखिका का कहना है कि 75 ग्रामीण महिलाओं जिनका इण्टरव्यू लिया गया, में से 34 मात्र 2/- पानेवालों में है। एक साल से कम काम करने वालियों को पैसा भी नहीं मिलता। जहां तक काम के घंटे का सवाल है, 66 प्रतिशत महिलाएं 9-14 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। 8 बजे सवेरे से शुरू करके शाम के 6 या 7 बजे तक वे खटती हैं।

स्वास्थ्य के जोखिम

लंबे समय तक एक ही तरह के ऊबाऊ काम में लगे होने के कारण मजदूरों को कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उठाने पड़ते हैं। मजदूरों के बैठने की जगह पर कम प्रकाश होता है, सफाई वगैरह की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। महिलाओं को आगे की ओर झुककर बैठी रहना पड़ता है, जिससे पीठ में दर्द होना स्वाभाविक है। कम रोशनी में एकाग्रता से काम करते रहने से दृष्टि धीरे-धीरे कमजोर होती है। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है, उनका मानसिक व शारीरिक विकास दुष्प्रभावित होता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं

यह अधिनियम घरेलू मजदूरों पर लागू होना चाहिए

था। लेकिन वे 'कारखाना मजदूरों' की परिधि में नहीं आते। लेखिका का परामर्श है कि महिला अफसरों को इंस्पेक्टरों की हैसियत से नियुक्त किया जाना चाहिए चूंकि अधिकांशतः मजदूरिनें मुस्लिम हैं और पर्दा करती हैं।

संगठित क्षेत्रों में मजदूरों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं हैं पर असंगठित क्षेत्रों में नहीं। अध्ययन ने उचित ही मांग की है कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा नजरअंदाज किए गए क्षेत्रों में विशेष उपाय किए जाएं। पुस्तक में कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा है जैसे महिलाओं व बच्चों में निरक्षरता।

यूनियन का गठन

सीटू ने ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की छोटी शिरकत पर गौर किया है। कारण स्पष्ट हैं। दुगुना काम, घर में तथा काम की जगह पर भी। दूसरे, पुरुष प्रभुत्व वाले ट्रेड यूनियन महिलाओं की समस्याओं तथा उनके यूनियन-बद्ध करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं।

लेकिन सीटू ने कभी भी महिलाओं के लिए अलग यूनियन बनाने का सुझाव नहीं रखा है पर 'झिलमिल धागे' नामक पुस्तक ने "महिला मजदूरों के लिए अलग यूनियन बनाने की अनुशंसा की है।" हम पुरुषों तथा महिलाओं के संयुक्त संघर्ष के हिमायती हैं। कामकाजी महिला मजदूर वर्ग संघर्ष का हिस्सा है तथा इस हैसियत में मजदूर वर्ग आंदोलन के वर्तमान दुराग्रहों के बावजूद संघर्ष सामान्य-संयुक्त धरातलों पर ही आयोजित किए जाएंगे। अलग-अलग यूनियन बनाने से मजदूर वर्ग के आम संघर्ष की सफलता में मदद नहीं मिलेगी। इससे मालिकों को मजदूरों को पुरुष व स्त्री में बांटने में ही मदद मिलेगी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि समाज और यूनियन में पुरुष प्रभुत्व है। कई बार फैसले बिना महिलाओं से परामर्श लिए ही किए जाते हैं। महिलाओं की समाज में वर्तमान इस सामंती विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते रहना होगा।

इस पुस्तक ने जरी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की जिन्दगी के कई पहलुओं को उभारा है, उनके निम्न दर्जे के शोषण को दर्शाया है जो आमतौर पर यूनियनों को नहीं दीखते। इन महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में मदद करना हमारा कर्तव्य होगा।

बच्चे लातिनी अमरीका की गलियों में

लातिनी अमरीका तथा तृतीय विश्व के बड़े शहरों में बच्चों तथा युवाओं द्वारा कार की सफाई करना, बोझ ढोना, जूते पॉलिश करना या अखबार बेचना आम दृश्य हैं। प्रायः उन्हें आकस्मिक मजदूर के रूप में लगाकर सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

कभी-कभी गली के लड़के घूमते-फिरते छोटे दुकानों को लूटने की ताक में रहते हैं या किसी आदमी से उतना झिड़कने की कोशिश करते हैं जितने में एक जून का खाना आ जाए।

और भी वीभत्स है 7 से 13 वर्ष के लड़के-लड़कियों का आम जगहों पर अपने शरीर बेचने की कोशिश करते देखना—ताकि उन्हें खाना, थोड़ा कपड़ा या कुछ पैसे मिल जाएं।

आप उन्हें कचड़े के ढेर से कुछ खाने की चीजें भी ढूंढते देख सकते हैं, सड़कों के किनारे सोते हुए, या गरमी बिखेरने वाली मशीनों से अपने ठिठुरते पोरों को सेंकते हुए देख सकते हैं।

चूंकि इस समस्या का कोई व्यवस्थित अध्ययन या शोध नहीं हुआ है, इस दैनंदिन यथार्थ का हू-ब-हू चित्र देना मुश्किल है। इन बच्चों के बारे में काफी भ्रामक विचार होते हैं। कितने ही कानून के आचार्य उन्हें लफंगे समझते हैं। पुलिस उन्हें 'अपराधी' मानती है; न्यायाधीश 'असमाजिक तत्व समझते हैं। राजनीतिबाजों और सरकारी अफसरों के कुछ तबके उन्हें ऐसे तत्व बताते हैं 'जो गलियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें गलियों की जिंदगी अच्छी लगती है।'

अनुमान किया जाता है कि 3 करोड़ बच्चे लातिनी अमरीका में दयनीय परिस्थितियों में रहते व काम करते हैं। यू. एन. ओ. के अनुसार उन्हें 'दुर्धर्ष परिस्थितियों' के बच्चे माना जाता है। चूंकि न तो उनके परिवार न ही घर ज्ञात होते हैं अतः उन्हें 'गलियों के बच्चे' कहा जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें बीमारियों तथा बुरे मौसम एवं कुपोषण का तिनतरफा हमला झेलना पड़ता है, उन्हें अपराध, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ तथा अल्कोहल की लतों का "हल्का शिकार" बताया जाता है।

चूंकि वे अनौपचारिक क्षेत्र में रहते व काम करते हैं, तय कर पाना मुश्किल है कि वे कितना कमाते हैं, उन्हें नियुक्त कौन करता है और उनके स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति क्या है। किसी को पता नहीं कितने स्कूल जाते हैं। इस तरह की जानकारियों के प्रयास भी नहीं किए गए हैं और पता लगाना मुश्किल है कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। अधिसंख्यक देशों के पास उनकी रक्षा के लिए कानून नहीं हैं और इस तरह उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन इस स्थिति की वजह क्या है?

बीसवीं सदी के दौरान काफी लोग लातिनी अमरीका के बड़े शहरों की ओर भागे हैं क्योंकि गाँवों में स्थिति बिगड़ती जा रही थी। औद्योगिकरण का भी अपना बदहालकरने वाला प्रभाव हुआ क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के शहर आने से केन्द्रीयकरण हुआ।

परिणामस्वरूप स्लम (गंदी बस्तियां) विकसित हुए, जिन्हें विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना गया। लातिनी अमरीकी आबादी का 70 प्रतिशत बड़े शहरों में रहता है और इसमें से 35 से 43 प्रतिशत गंदी बस्तियों में। ज्यादा मुफलिस इलाकों में बेकारी, अपढ़ता, बच्चों का कुपोषण, बिगड़ता जीवनस्तर तथा परिवार में बढ़ती हिंसा प्रमुख विशेषताएँ हैं। लोग भीड़ की तरह रहते हैं और बच्चे जल्द ही यौन प्रबुद्धता प्राप्त कर लेते हैं।

इन घरों के बच्चों को जल्द ही रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वे शुरूआत छोटे कामों से करते हैं। और तब स्कूल छोड़ना अनिवार्य नहीं होता। कई मामलों में वे चोरी करते हैं या वेश्यावृत्ति करते हैं, जो उनके परिवार अनदेखा कर देते हैं, चूंकि वे उन्हीं की कमाई पर जीते हैं। कभी-कभी बच्चों पर दबाव डालकर उनको गलियाकर जबर्दस्ती काम लिया जाता है। लेकिन बच्चों के पास भी काफी स्वतंत्रता होती है और इसके चलते तथा बिगड़ते पारिवारिक माहौल के चलते वे घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते है। अन्य मामलों में माता-पिता बच्चों को कम ही उम्र में छोड़ देते हैं। इस तरह "सड़क छाप बच्चों" की कतारें लंबी होती जाती हैं।

तृतीय विश्व के देशों की पारंपरिक गरीबी विदेशी कर्ज से नाटकीय अंदाज में बढ़ती है। सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के चक्कर में बेकारी तथा मुद्रास्फीति बढ़ाती हैं तथा घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि की सुविधाएं मुहैय्या कराने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में कटौती करती हैं। सरकारें अपने तानाशाही शासनों की सुरक्षा के लिए सेना पर भी भारी खर्च करती हैं।

यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार बच्चे इन कदमों के पहले शिकार होते हैं.

बाल श्रम

वस्त्र उद्योग के लिए तृतीय त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक ने 1987 में इस गंभीर समस्या पर विचार किया। इस संदर्भ में बाल श्रम समाप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र कन्वेंशन (नं० 138) तथा रिकॉमेंडेशन (नं० 146), 1973 में वर्णित प्रावधानों को याद किया गया। इसने बाल श्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि वस्त्र उद्योग में यह समस्या किन देशों में है तथा सदस्य राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि बाल श्रम को दूर करने के प्रभावी उपाय तेज किए जाएँ।

हम पाते हैं कि वस्त्र उद्योग में बच्चों की नियुक्ति अभी भारत, पाकिस्तान या कई पिछड़े देशों तक ही सीमित नहीं है अपितु अमरीका जैसे विकसित देशों में भी है। उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क शहर में पोशाक की दूकानों में 8 वर्ष के बच्चे भी धागे तथा वस्त्र तैयार करने में बड़ी दयनीय कार्य स्थितियों में लगे हुए हैं। दूसरे क्षेत्रों में भी बच्चे लम्बे समय तक काम करते रहते हैं—ऐसे कामों को जिन्हें कोई भी इतनी कम दर पर करने के लिए तैयार नहीं होता।

बाल कल्याण समूहों के दबाव की वजह से अमरीकी श्रम विभाग ने उन व्यवसायों का निरीक्षण करवाया जहां बच्चे लगाए जाते हैं जैसे—गार्मेन्ट शॉप, रेस्तरां, सुपर मार्केट आदि। इस मुहिम में 7000 नाबालिग अवैध रूप से लगाए हुए पाए गए। मालिकों को अर्थदंड देना पड़ा। लेकिन मालिकों के लिए बच्चों को छोड़ने से ज्यादा लाभदायक जुर्माना भरना होगा।

न्यूनतम उम्र सम्मेलन की मांगों को पूरा करने की दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। कामकाजी बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उनके मानसिक-शारीरिक विकास पर शोषणपरक रोजगारों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, इस बेशर्म प्रथा को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाइयों की जरूरत है।

"हमने आजादी के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है"

[नीचे हम नेल्सन मंडेला का पूरा भाषण प्रकाशित कर रहे हैं, जो उन्होंने 11 फरवरी 1990 को, अपनी 27 वर्ष की कारावास की सजा के बाद बेशर्त रिहाई के दिन केप टाउन के ग्रैंड परेड में लोगों को दिया था।]

साथियो, कामरेडो और हमराही दक्षिण अफ्रीकियो, मैं आप सबको सबके लिए शांति, जनवाद व स्वतंत्रता के नाम साधुवाद देता हूं। मैं यहां आपके मसीहा के रूप में नहीं आपके, जनता के सेवक के रूप में हाजिर हूँ।

आपके अथक और जांबाज संघर्षों की वजह से ही आज मेरा यहां खड़ा होना संभव हो पाया है। इसलिए अपनी जिन्दगी के बाकी बचे वर्ष भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ।

अपनी रिहाई के इस दिवस पर मैं अपना धन्यवाद तहेदिल से अपने लाखों हमवतनों को तथा संसार के हर कोने में फैले उन तमाम लोगों को देता हूँ जिन्होंने मेरी मुक्ति के लिए अथक अभियान छेड़े हैं।

मैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को सलाम करता हूं। इसने स्वतंत्रता की ओर हमारे महान प्रयास के अग्रणी के रूप में हमारी हर आकांक्षा की पूर्ति की है।

मैं कामरेड ऑलिवर टॉम्बो को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी ए. एन. सी को नेतृत्व दिया। मैं ए एन सी की कतारों को भी सलाम करता हूं। हमारे संघर्ष की गौरवशाली राह पर आपने अपना खून, अपनी जिन्दगियां कुर्बान की है।

मैं सोलोमेन महलंगू तथा ऐश्ले क्रियेल सदृश उम्खोन्तो वी सिज्वे के जांबाज सिपाहियों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने द. अफ्रीकियों की स्वतंत्रता के लिए उच्चतम कीमतें अदा की हैं।

मैं जनवाद के संघर्ष में अहम भूमिका अदा करने के लिए द० अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी को भी सौ-सौ बार प्रणाम करता हूँ। आपने 40 वर्षों का निरंतर कहर झेलते हुए खुद को जिंदा रखा है। मोजेज कॉटेन, युसुफ दादू, बार्म फिशर और मोजेज मभीदा जैसे महान कम्युनिस्टों का नाम आने वाली कई पीढ़ियाँ श्रद्धापूर्वक लेंगी। मैं अपने एक बेहतरीन देशभक्त महासचिव जो सोल्वो का भी अभिवादन करता हूं। हमारे लिए काफी उत्साहजनक बात है कि हममें और पार्टी का मेल-जोल पहले जैसा ही है।

मैं संयुक्त जनवादी मोर्चे, कोसाटू, राष्ट्रीय शिक्षा संकट समिति, ट्रांसवाल व नैटाल भारतीय कांग्रेसों तथा कई अन्य तरह के जनसंगठनों का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्वेतों की भूमिका

मैं ब्लैक शाश तथा नैशनल यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स को भी प्रणाम करता हूं। हम फख्र के साथ कहेंगे कि आपने नेकनीयत श्वेत द० अफ्रीकियों की तरह कार्य किया है। हमारे संघर्ष के इतिहास के दुर्दिनों में भी आपने उदारता का झंडा उठाए रखा है। पिछले कुछ वर्षों में हुए व्यापक स्तरीय गोलबंदियों की वजह से ही हमारे संघर्ष का अन्तिम अध्याय खुल पाया है।

मैं देश के मजदूर वर्ग को अपनी बधाई देता हूं। आपकी संगठित शक्ति हमारे आंदोलन का गौरव है। दमन व शोषण को समाप्त करने के आप ही सबसे ज्यादा निर्भर किये जाने वाली ताकत है।

मैं उन धार्मिक समुदायों के प्रति भी अनुगृहीत हूँ जिन्होंने हमारे संगठनों को चुप किये जाने पर न्याय के अभियान को आगे बढ़ाया।

देश की माताएं एवं पत्नियां साधुवाद की पात्र हैं। आप हमारे संघर्ष की पाषाणी जमीन हैं। रंगभेद ने हमें सबसे ज्यादा आपको पीड़ित किया है।

फ्रण्ट लाइन के त्याग

इस अवसर पर रंगभेद विरोधी संघर्ष में योगदान करने के लिए हम विश्व समुदाय को धन्यवाद देंगे। आपके समर्थन के बगैर हमारा संघर्ष इतने अग्रिम चरण में नहीं पहुंच पाता।

मेरा धन्यवाद ज्ञापन अधूरा रहेगा यह कहे बिना कि मेरी प्रिय पत्नी तथा परिवार ने जेल की तन्हा जिन्दगी के दौरान हमें बहुत ताकत दिया। मैं विश्वस्त हूं कि आपका दर्द आपकी पीढ़ी मेरे अपने से कहीं ज्यादा रहे हैं।

आज अधिसंख्यक दक्षिण अफ्रीकी—श्वेत या अश्वेत

—मानते हैं कि रंगभेद का कोई भविष्य नहीं है, इसे हमारे जन आंदोलनों के जरिये शांति और सुराग के लिए खत्म करना ही होगा।

हमारे देश में रंगभेदी विनाश का कोई पाराबार नहीं है। हमारे लाखों लोगों की पारिवारिक जिन्दगियां बिखर गई हैं। लाखों बेघर और बेकार हैं, हमारी अर्थ-व्यवस्था विनष्ट स्थिति में है और लोग राजनीतिक झगड़ों में गुंथे हुए हैं।

सशस्त्र संघर्ष जारी रखना ही होगा

ए एन सी के सैनिक पक्ष उन्खोन्तो वी सिज्वे का 1960 में गठन करने का हमारा निर्णय रंगभेदी हिंसा के विरुद्ध महज एक प्रतिरक्षात्मक कदम था। सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक बनाने वाले कारक आज भी मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी लड़ाई लड़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम आशा व्यक्त करते है कि बातचीत के जरिए सुलह-समझौते का माकूल माहौल जल्द ही तैयार किया जायगा ताकि सशस्त्र लड़ाई की जरूरत अब नहीं रह जाय।

नेताओं की हैसियत से हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने मत संगठनों के समक्ष रखें और जनवादी ढांचे को आगे का रास्ता तय करने दें। जनवादी व्यवहार के प्रश्न पर मैं यह कहने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हूँ कि आंदोलन का नेता वही है जो किसी राष्ट्रीय सम्मेलन में जनवादी ढ़ग से चुना गया हो। इस सिद्धांती का बिना किस अपवाद के पालन होना चाहिए।

बैठक की जरूरत

आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के साथ मेरी बातचीत का उद्देश्य देश में स्थिति को सामान्य बनाना है। हमने अभी तक संघर्ष की मांगों पर बात शुरू नहीं की है। मैं जोर देना चाहूंगा कि मैं खुद कभी भी बातचीत का हिस्सेदारी नहीं रहा हूँ सिवा इसके कि देश का भविष्य तय करने के लिए मैंने हमेशा ए एन सी और सरकार के बीच बैठक की जिद की है।

मैं हमारी मांगों को दुहराना चाहूँगा कि अन्य चीजों के अलावा आपातकाल उठा लिया जाय तथा कुछ को नहीं बल्कि सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाय।

एक ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की माकूल सामान्य स्थिति में ही, जहां हम अपने लोगों से स्वतंत्र तौर पर संपर्क कर सकते हैं, चुनाव के लिए उपयुक्त होगी।

जनता की पीठ पीछे नहीं

बातचीत लोगों के ऊपर या उनकी पीठ के पीछे नहीं हो सकती। हमारा विश्वास है कि हमारे देश का भविष्य ऐसा ही कोई निकाय तय कर सकता है जो गैर नस्लवादी आधार पर जनवादी ढंग से लोगों द्वारा चुना गया हो।

रंगभेद को अपदस्थ करने के लिए होनेवाली बातचीत को जनवादी, अ-नस्लवादी तथा एकीकृत दक्षिण अफ्रीका की लोगों की अहम मांगों को मद्देनजर रखना होगा।

राजनीतिक सत्ता पर श्वेत एकाधिकार समाप्त किया जाना चाहिए तथा हमारे राजनीतिक व आर्थिक तंत्र को इस तरह मौलिक रूप से पुनर्गठित किया जाय कि रंग-भेदी व्यवस्था में अंतर्निहित असमानताएं समाप्त और हमारा समाज सांगोपांग रूप से जनवादीकृत हो।

लेकिन एक संगठन के तौर पर हम अपनी रणनीतियां जमीन की कड़वी सच्चाइयों के आधार पर बनाते हैं और यह यथार्थ यह है कि हम अभी भी राष्ट्रवादी सरकार के हाथों शोषित हैं। हमारा संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हम अपने लोगों का आह्वान करते हैं कि वे इस क्षण का इस्तेमाल इस तरह करें कि जनवाद की और बढ़ती प्रक्रिया तेज और अवरोधरहित हो।

हमने स्वतंत्रता के लिए लंबा इंतजार किया है। अब और नहीं कर सकते। हर महकमें में संघर्ष तेज करने का वक्त आ गया है। अभी ढिलाई करना एक ऐसी भूल होगी जिसे आनेवाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।

आजादी का दृश्य

क्षितिज पर डोलती आजादी के दृश्य से हमें अपने प्रयासों को द्विगुणित करने का उत्साह मिलना चाहिए। और अनुशासित जन कार्रवाइयों की बदौलत ही हमारी विजय हासिल की जा सकेगी।

हम अपने श्वेत हमवतनों से एक नए द० अफ्रीका के निर्माण में हमारा हाथ बटाने का आह्वान करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन आपका भी राजनीतिक घर है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी रंगभेदी शासन के अलग-थलग करने के अभियान को जारी रखने का आह्वान करते हैं।

शान्ति व नस्लवादी सौहार्द का एक ही रास्ता है—

[शेष पृष्ठ 9 पर]

प्रधान न्यायाधीश ने अपनी महिलाविरोधी टिप्पणियां वापस लीं

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने 7 नवंबर को ब्रह्मकुमारियों की एक सभा में महिलाओं के संबंध में की गयीं अपनी सारी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। जस्टिस मिश्र ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सचिव, वृंदा कारात को 19 नवंबर को लिखे गये पत्र में इस आशय की घोषणा की है। याद रहे 19 नवंबर को ही अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने जस्टिस मिश्र को एक ज्ञापन देकर, उनसे बिना शर्त अपनी टिप्पणियां वापस लेने का आग्रह किया था। ज्ञापन के अपने जवाब में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने लिखा है :

"19 नवंबर 1990 के आपके ज्ञापन की प्राप्ति की सूचना हो। यह ज्ञापन आपने 19 नवंबर को उस समय मुझे दिया था, जब 7 नवंबर को ब्रह्मकुमारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मैंने जो कुछ कहा था, उसके सिलसिले में आपने मुझसे मुलाकात की थी।

"मैंने अपना भाषण यह कहने से शुरू किया था कि मैं वहाँ निजी हैसियत से उपस्थित था, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से। मैंने अपने भाषण के क्रम में बिल्कुल साफ कर दिया था कि अदालत में मैं, संविधान में महिलाओं को दिये गये सारे संरक्षण लागू हों, यह सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मौजूदा ढांचे में उन्हें पूर्ण संरक्षण हासिल होना ही चाहिए। यह कहने के साथ ही मैंने रेखांकित किया था कि परंपरागत रूप से हमारे देश में महिलाओं को भारी सम्मान हासिल रहा है और उन्हें पुरुषों से कहीं ऊंचे दर्जे में रखा जाता रहा है। आगे चलकर समाज में कुछ गड़बड़ हो गयी और महिलाओं का दर्जा नीचा हो गया।

"मैं महिलाओं का, जो प्रकृति तथा मातृत्व के बेहतरीन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सर्वोच्च सम्मान करता हूँ और उनके हितों के लिए तथा उन्हें जिन हालात में रहना पड़ रहा है उन्हें बेहतर बनाने के लिए मैं अतीत में काम करता रहा हूं और भविष्य में करता रहूगा।

"मुझे यह जानकर खेद हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि वहां मैंने जो कहा है, उससे महिलाओं के हालात में सुधार के आपके आंदोलन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा, जो किसी भी हलके में किसी भी एहसास के लिए कोई भी गुंजाइश पैदा करना चाहूंगा और मैं यह दर्ज कराना चाहता हूं कि आपकी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, उस मौके पर मैंने जो कुछ कहा था, सब वापस लेता हूं और आपको फिर इसका भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं महिलाओं का बहुत ही सम्मान करता हूं और उनके हितों के लिए काम करते रहना चाहता हूं।

"आप अगर चाहें तो मेरी इस चिट्ठी में कही गयी बातें प्रकाशित भी कर सकती हैं, ताकि यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाय और मुझे इस सिलसिले में फिर किसी को जवाब न देना पड़े।"

मुख्य न्यायाधीश की चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जनवादी महिला समिति की सचिव वृंदा कारात ने जहां न्यायाधीश द्वारा अपनी टिप्पणिया वापस लिये जाने का स्वागत किया है, वहीं उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह की टिप्पणियां की थी। 22 नवंबर को जारी एक बयान में वृंदा कारात ने यह उम्मीद भी जाहिर की है कि इस घटना से, "उच्च पदों पर बैठे महानुभवों" की समझ में आ जायगा कि "महिलाओं के बराबरी के अधिकार के खिलाफ जानेवाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

जनवादी महिला समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस रंगनाथ मिश्र के हाल में महिलाओं की एक सभा में की गयी अपनी टिप्पणियां वापस लेने की मांग की थी। टाइम्स आफ इंडिया (18 नवंबर) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायाधीश ने एक 'महिला कुमारी' सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 'औरतों की जगह चूल्हे में है' का घिसा-पिटा रिकार्ड बजाया था। महिला समिति का कहना है कि देश के मुख्य न्यायाधीश जैसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणियां किये जाने के परिणाम दूरगामी होंगे और अदालत से न्याय की उम्मीद कर रही महिलाओं का विश्वास ही हिल जायगा।

काम पर महिलाएं–अतर्राष्ट्रीय आंकड़े गिरावट दर्शाते हैं

पूरे विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों तथा आंकड़ों के आधार पर ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि यदि वर्तमान प्रवृतियां जारी रहीं तो 20वीं सदी के अंत में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी।

इस तरह 2000 ई० में विश्व की कुल महिला जनसंख्या का 32.2 प्रतिशत यानि 10000 लाख आर्थिक तौर पर सक्रिय की श्रेणी में आएगा जबकि 1985 में यह वर्ग 32.9 प्रतिशत था। आर्थिक तौर पर सक्रिय लोगों में नारियों का अनुपात भी 1985 के 36.5 प्रतिशत से शताब्दी के अंत तक घटकर 35.5 के प्रतिशत होने का अनुमान है।

इनमें से 7000 लाख नारियां विकासशील देशों में होंगी जहां कामकाजी महिलाओं की नारियों का अनुपात 30 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि औद्योगीकृत देशों में यह अनुपात 38 प्रतिशत होगा। इसके अलावा औद्योगीकृत देशों में 2000 ई० तक 15 से 64 साल के बीच की 60 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक तौर से सक्रिय होंगी जबकि विकासशील देशों में यह अनुपात 50 प्रतिशत से कम होगा—यह स्थिति 1950 की स्थिति के विपरित होगी, जब इस उम्र सीमा में सक्रिय महिलाओं का अनुपात विकासशील देशों में 50 प्रतिशत था और औद्योगीकृत देशों में 47 प्रतिशत।

भविष्यवाणियां भविष्य निर्धारित नहीं करतीं। परन्तु, उक्त गिरावट की भविष्यवाणी को पलटने के लिए हर क्षेत्र में अविलंब ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं कि महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

सांप्रदायिक स्थिति के खिलाफ कार्रवाई समिति बनी

सांप्रदायिकता के विरूद्ध एक संयुक्त अभियान प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला संगठनों तथा उनकी दिल्ली इकाइयों की एक बैठक वाइ. डब्ल्यू. सी. ए. में 28 नवंबर' 90 को हुई।

इसमें अग्रांकित संगठनों ने भाग लिया :—

एड्वा (अखिल भारतीय जनवादी महिला एसोसिएशन), ए. आई. डब्ल्यू. सी. (ऑल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस, ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. (ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वीमेन), सेन्टर फॉर वीमेन्सडेवलपमेंट स्टडीज (सी. डब्ल्यू. डी. एस.), एम. डी. एस. (महिला दक्षता समिति), जे. डब्ल्यू. पी. (ज्वायंट वीमेन्स प्रोग्राम) एन. एफ. आई. डब्ल्यू. (नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन); वाय. डब्ल्यू. सी. ए.

सभा में तय किया गया कि 15 दिनों तक पूरे दिल्ली में एक अभियान चलाया जाएगा—पदयात्रा, टेम्पो प्रचार, कार्यालयों व अस्पतालों में गेट मीटिंग आदि के जरिए लगभग 11 लाख पर्चे बांटे जाएंगे।

विभिन्न संगठनों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में टेम्पो प्रचार तथा पदयात्रा करने की जिम्मेवारियां ली हैं। पूरे अभियान के लिए एक अनुमानित बजट की राशि 15000 रुपये होगी।

तय किया गया था कि इनमें से हर संगठन अभियान के लिए दो-दो हजार रुपये देगा।

बताया जाता है कि विभिन्न इलाकों में इन संगठनों के कार्यक्रम सफल रहे। अगले अंक में हम विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

मरहूम ट्रेड यूनियन नेताओं को श्रद्धांजलि

कामकाजी महिला, वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता व सीटू के सर्वभारतीय उपाध्यक्ष का० मोहम्मद इसमाईल के निधन पर गहरे शोक का इजहार करती है। का० इसमाईल का निधन 14 नवंबर 1990 को कलकत्ता में हुआ। वे 80 वर्ष के थे।

कामकाजी महिला का० इसमाईल को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

सीटू के एक अन्य ट्रेड यूनियन नेता का० ई० पद्मनाभन के निधन पर कामकाजी महिला गहरा शोक प्रकट करती है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

का.बी.टी.आर. की प्रेरणाओं से रंग लाने लगा है आंगनवाड़ी आंदोलन

राजस्थान में आंगनवाड़ी कामगारों को संगठित करने का प्रयास नया नहीं रहा है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के सीटू के प्रस्ताव के बाद से ही डी.वाई.एफ.आई. उदयपुर अपना अभियान चलाती आ रही है।

यही नहीं इस दिशा में डी.वाई.एफ.आई. और सीटू द्वारा आंगनवाड़ी कामगारों की केन्द्रीय समस्याओं समेत स्थानीय समस्याओं जैसे समय पर पौषाहार का वितरण, लकड़ी के बिल, मकान किराये का समय पर भुगतान व कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार घटनाओं की समस्याओं को अपने मंच से जोरदार ढंग से उठाया था। कई केन्द्र तो ऐसे थे जो सीधे हमारे निर्देशन में चलते थे, कई केन्द्रों को खुलवाने के लिए तो डी.वाई.एफ.आई. ने शानदार लड़ाईयाँ लड़ी थी।

इसके अतिरिक्त केन्द्रों में अधिकारियों द्वारा झूठे आरोप लगाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल देने, उनसे समय से अतिरिक्त काम लेने आदि तथा केन्द्रों को बंद करने की धमकियों के खिलाफ डी.वाई.एफ.आई. तथा सीटू की इमानदाराना संघर्ष से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन की ओर आकर्षित हुई थीं किन्तु आंगनवाड़ी कामगारों के एक केन्द्रीय संगठन के अभाव में डी.वाई.एफ.आई. व सीटू अपने आप को अक्षम पाती थी। क्योंकि इस क्षेत्र में जैसी समस्याएँ थी जैसा कि इसका स्वरूप था एक वैसे ही संगठन की मांग कर पाया लेकिन हमारी इस निराशा में आशा का संचार तब ही जाकर हुआ जब कामरेड बी टी.आर. की विशेष पहल और सीटू के आह्वान पर "अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स" की स्थापना की घोषणा कर दी गई। 20 से 25 अप्रैल 89 को सम्पन्न हुये दिल्ली में आंगनवाड़ी कामगारों के प्रशिक्षण समारोह में एडहॉक कमेटी (तैयारी कमेटी) बनी।

आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फेडरेशन से रौशनी पाकर राजस्थान के सामती परिवेश में राजस्थान की आंगनवाड़ी कामगारों ने पहली बार अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प किया।

इसी क्रम में पहली बार (जुलाई) 1989 को उदयपुर संभाग की प्रथम आंगनवाड़ी कामगार यूनियन राजसमंद अस्तित्व में आई तथा प्रथम बार अपने पैरों पर खड़ी हो स्वयं के बैनर पर अपनी मांगों के लिये लड़ने का बीड़ा उठाया।

फिर इसी बैठक में 1 जुलाई 89 को उदयपुर शहर कमेटी का गठन भी कर लिया गया, जिसकी पहली बैठक में ही केन्द्रीय मांगों को लेकर 10 जुलाई को जिला मुख्यालय पर धरना करने का निर्णय लिया धरने में आशा से अधिक कार्यकर्ताओं के आ जाने के कारण मजबूरन कमेटी को अपना निर्णय बदलकर धरने को रैली में परिवर्तित करना पड़ा।

रैली के अनुभव ने आंगनवाड़ी बहिनों को जो जोश दिया था तथा यूनियन को आगे बढ़ाने के उनके रात दिन एक कर उनके यूनियन के काम ने तथा यूनियन के बढ़ते प्रभाव से आतंकित हो तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेस(ई) की सरकार ने कार्यकर्ताओं का दमन कर यूनियन को तोड़ने में कोई और कसर बाकी नहीं रखी थी। जिसमें यूनियन के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को केन्द्र बंद करने की धमकियों तथा नौकरी से निकाले जाने की घटनाएँ प्रमुख हैं।

प्रथम हमला यूनियन की सचिव रजिया बानों पर किया गया। उन पर चोरी का इलजाम लगाकर कहा गया कि या तो यूनियन छोड़ दो नहीं तो नौकरी से निकाल दी जाओगी। किन्तु आत्मसमपर्ण करने के बजाय का० रजिया ने यूनियन को मजबूत कर जीजान से यूनियन को आगे बढ़ाने का रास्ता ही चुना। यूनियन उनके कैस को लड़ रही है तथा रजिया बानों संघर्ष की अगली कतारों में है। दूसरा हमला तहसील धरियावद परियोजना की अध्यक्ष श्रीमती मांगी बाई को नौकरी से निकालकर तथा तीसरा हमला राजसमंद की यूनियन पर किया गया जिसके अर्न्तगत यूनियन सेक्रेट्री पुष्पा पंचोली व अध्यक्ष

राजम्मा जॉर्ज को काम से निकाले जाने का आदेश दे दिया गया। गौरतलब है कि उक्त समस्त हमलों का दिग्दर्शन तत्कालीन बाल विकास राज्य मंत्री गिरिजा कुमारी व्यास कर रहीं थी जो स्वयं एक महिला थी और उदयपुर से कांग्रेस आई का प्रतिनिधित्व करती थी।

लेकिन हर परीक्षा की घड़ी में यूनियन ने संघर्ष का ही रास्ता अपनाया तथा धरनों, जुलुसों तथा रैली के माध्यम से हर हमले का सबल प्रतिरोध किया हमले तब तक जारी रहे जब तक कि चुनाव नहीं हो गये।

यूनियन के बढ़ते काम को देखते हुये सराडा, सलूबर गिरवा बडगांव, राजसंमद, भी लवाडा, जोधपुर तथा उदयपुर के ग्रुपलीडर्स को प्रतिनिधित्व देते हुये एक ऐडहॉक कमेटी बना ली गई तथा उक्त सभी परियोजनाओं में कमेटियों का गठन करके 13 अगस्त 89 को जिला सम्मेलन करने का फैसला किया गया।

तदनुसार सभी तहसील कमेटियों का गठन हुआ और आंगनवाड़ी कामगार यूनियन का प्रथम जिला सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में लगभग 1100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फेडरेशन की संयोजिका का० विमल रणदिवे ने मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लिया तथा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी की अध्यक्ष का० मधु सेठिया भी सम्मेलन में आमंत्रित थी। सम्मेलन में अपने मुख्य आतिथ्येयी सम्बोधन में कामरेड विमल रणदिवे ने राजस्थान की सभी परियोजनाओं में यूनियन की शाखायें गठित करने का आह्वान किया। सम्मेलन में 8 सितम्बर को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा प्रस्तावित "दिल्ली रैली" में यूनियन द्वारा भी भाग लेने का प्रस्ताव पास किया गया।

सम्मेलन के तत्काल बाद यूनियन जनवादी महिला समिति के साथ स्वतंत्र रूप से दिल्ली चलो अभियान की तैयारियों में जुट गई और अधिकारियों की नौकरी से निकालने की दाब धौंस के बाद भी 550 आंगनवाड़ी बहिनों ने उदयपुर से दिल्ली रैली में भाग लिया।

प्रशिक्षणशिविर दिल्ली से लौटने के बाद यूनियन ने अपने कार्यकर्ताओं को व्यापक आंदोलन की दिशा में प्रशिक्षित करने का तय किया, जिसमें संभाग से 90 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के बाद यूनियन ने परियोजनाओं के स्तर पर पौषाहार में सुधार, समय पर वेतन, लकड़ी का बिल भुगतान मकान किराये समेत केन्द्रीय मांगों तथा मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश के तहत पांच वर्ष पुरानी कार्यकर्ताओं को 25 रु. दस वर्ष पुरानी कार्यकर्ताओं को 50 रुपये बढ़ोत्तरी को लागू करने व सुपरवाईजर्स को पदोन्नति देने तथा बकाया ऐरियर के भुगतान की मांगों सहित निकाले नये कार्यकर्ताओं को काम पर वापस लेने का व्यापक आंदोलन छेड़ा। जिसके अन्तर्गत परियोजना स्तर पर धरने व घेराव किया गया। जिसे व्यापक समर्थन मिला। नहीं कहीं तो अधिकारीकरण दस-दस दिन तक ऑफिसों में नहीं आये। राजसंमद में तो अधिकारी अभी तक कोई भी आने को तैयार नहीं है।

आन्दोलन कामयाब हुआ। जनवरी 1990 के बदलते वातावरण में निष्कासित कार्यकर्ताओं राजसंमद से पुष्पा पंचौली, राजम्मा जार्ज तथा धरियावाद से मांगी बाई चौधरी को यूनियन वापस काम में लगवाने में सफल हुई।

इस सफलता के बाद यूनियन का काम बढ़ा और 31 दिसम्बर 89 को चित्तोड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ यूनियन का प्रथम सम्मेलन भी कर लिया गया जिसके फलस्वरूप चित्तोड़गढ़ परियोजनाओं में यूनियन के कदम बढ़ते ही चले गये। जिसके चलते छोटी साढड़ी व अरनोद में भी एडहॉक कमेटी का गठन कर लिया गया।

इस प्रकार यूनियन की मासिक बैठकों में आंगनवाड़ी कामगारों की बढ़ती भागीदारी और बढ़ते हुये जोश के वातावरण में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जयपुर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन द्वारा आहूत 12 जून की जयपुर रैली में उदयपुर से 314 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा गर्मी की तपती धूप के बावजूद सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आलम यह था कि आम कार्यकर्ता सचिवालय की भारी पुलिस घेराबंदी को तोड़कर लाठी डण्डों की परवाह किये बिना सचिवालय में घुस गई। जहां अपनी मांगों के लिए उन्होंने शेखावत सरकार के खिलाफ खुली जग का ऐलान किया। यह पहला मौका था जब इतनी तादाद में आंगनवाड़ी कामगार इतने उग्र रूप में राजस्थान सरकार के सामने अपना संगठित प्रतिरोध दर्ज कराने गई थी।

जयपुर रैली के बाद 25 जुलाई 90 को का० बी.

एल. छानवाल व पुष्पा शर्मा की उपस्थिति में जिला जोधपुर का सम्मेलन सम्पन्न होने के साथ ही यूनियन उदयपुर, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में अपना विश्वास अर्जित करने में सफल हो चुकी थी। इसी का ही नतीजा था कि 8 अगस्त की दिल्ली रैली में संभाग से 7 अगस्त को रक्षाबंधन होते हुए भी 700 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रैली में भाग लिया।

रैली से लौटकर यूनियन द्वारा विस्तृत बैठक की गई जिसमें रैली की समीक्षा सहित यूनियन के संगठनात्मक स्तर को सुधारने के लिए परियोजनाओं में व्यापक सदस्यता अभियान और शाखा चुनावों के काम को हाथ में लिया गया।

बैठक के निर्णय के अनुरूप 3 सितम्बर को अरनोद व 9 सितम्बर को छोटी सादड़ी परियोजनाओं के सम्मेलन में शतप्रतिशत सदस्यता के अनुमोदन व भारी उत्साह के बीच सम्पन्न हुआ। 16 सितम्बर को भीलवाड़ा की 7 परियोजनाओं का जिला सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस दौरान यूनियन सभी सम्मेलनों में अखिल भारतीय सम्मेलन उदयपुर में ही होने की पुष्टि करते हुए सम्मेलन का तन मन धन से सहयोग के प्रस्तावों को पास करवाती आई है। तथा संभाग की सभी कमेटियों की राय लेकर यूनियन ने अखिल भारतीय अधिवेशन को उदयपुर में कराने के निर्णय को केन्द्रीय समिति को हालात व उत्साह के बारे में बताती रही थी।

अखिल भारतीय सम्मेलन के अभियान को भारी सफलता मिल रही है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, सिरोही जिले की परियोजनाओं का नाम आशा से अधिक सफलता के लिए लिया जा सकता है।

इसी बीच 30 नवम्बर को जिला बाँसवाड़ा सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें 700 से भी अधिक कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भाग लिया तथा 2 दिसम्बर को जिला सिरोही परियोजना पिण्डवाड़ा सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ। पिण्डवाड़ा परियोजना में एक कमेटी का गठन कर पिण्डवाड़ा-देवधर-आबूरोड परियोजनाओं को मिलाकर 16 सितम्बर को सिरोही जिला सम्मेलन करने का तय किया है।

इस प्रकार का० बी.टी.आर. के सानिध्य में हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के दिल्ली सम्मेलन में राजस्थान से गई (उदयपुर) से पुष्पा शर्मा, सुंदरदेवी स्वर्णकार, रजिया बानो व सुपरवाइजर कौशल्या छानवाल द्वारा घोषित संकल्प की परिणति आज हम आंगनवाड़ी कामगार यूनियन उदयपुर संभाग के नेतृत्व में उदयपुर की 14, डूंगरपुर की 7, भीलवाड़ा की 7, बांसवाड़ा की 8, चित्तोड़गढ़ की तीन तथा सिरोही की तीन परियोजनाओं में लगभग 10,000 कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं तक सदस्यता भर्ति सहित अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फैडरेश के साथ होती लामबंदी में देख रहे हैं।

का० बी.टी.आर. को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने प्रयासों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि का० बी. टी. आर. की ओर से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फैडरेशन को संकट की कठिन घड़ी में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होता तो निश्चय ही हमें इतनी सफलता नहीं मिली होती।

अंत में अपनी इस अल्पावधि में यूनियन को संघर्ष के दौरान जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उन्हें निम्न बिन्दुओं में रेखांकित किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत है :—

1. कड़े संघर्ष के बाद यूनियन का रजिस्ट्रेशन जो लम्बे समय से राजनेताओं के दबाव से लम्बित पड़ा था यूनियन ने 14 जून 90 को प्राप्त कर लिया।

2. संघर्ष के दौरान निकाले गए यूनियन के पदाधिकारियों पुष्पा पंचौली, राजम्माजार्ज, व मांगी बाई को यूनियन ने वापस काम पर लगवाया। रजिया का केस अभी लम्बित है जिसे यूनियन लड़ रही है।

3. यूनियन ने और कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का तीन महीने का रुका हुआ वेतन 3 लाख रुपये का भुगतान करवाया।

4. राजसंमद में 1500-1500 रु० का ऐरियर भुगतान करवाया।

[पृष्ठ 2 का शेष]

निधि मजदूर वर्ग के साथ है या विरुद्ध।"

सर्वहारा क्रांति ने समता की घोषणा की

सत्ता में आने के पश्चात् रूसी क्रांति, बोल्शेविक पार्टी तथा सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में समानता की घोषणा की जिसे जारशाही बुर्जुआ सरकारों ने नकार था। नारियों को वोट का अधिकार दिया गया शादी तलाक आसान बनाए गए और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह की गई कि वैध एवं अवैध संतान का भेद समाप्तकर दिया गया, इसके अलावे, महिलाओं के लिए खतरनाक कामों पर, रात्रि शिफ्टों पर रोक लगाई गई तथा उनके बच्चों की देखभाल की भी व्यवस्था की गई। अक्टूबर क्रांति की यह उपलब्धि हम भारतीय नारियों के लिए बहुत बड़ी है जिन्हें वैध/अवैध संतानों के विभेद के परिणाम झलने पड़ते हैं, ऐसे बच्चे कटे-कटे अनाथों की जिंदगी जीते हैं, जबकि उनका दोष कुछ भी नहीं होता। हमारे देश सहित पूरे संसार की नारियों को सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों की बहनों की उपलब्धियों पर नाज है। हर महिला को शिक्षा व काम तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो जाती है पर अपने देश की करोड़ों महिलाए काम की तलाश में भटकती रहती हैं। कुछ महीने पहले तक सोवियत रूस में जनवाद झगड़े नहीं होते थे जबकि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति/जनजातियों तथा वनवासियों को भू सामंतों की सेनाएं उनके गुंडे मौत के घाट उतार देते हैं, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर हर तरह के जुल्म ढाता है और महिलाओं का बलात्कार एक दैनिक मामला है। क्रांति ने आम रसोई, लांड्री आदि चालू करके गृहस्थी के झंझटों को भी एक हद तक तक कम किया है।

लेनिन ने विकसित पूँजीवादी राष्ट्रों को चुनौती दी कि कोई देश ऐसे ऐसे नतीजे हासिल नहीं कर सका है और सर्वहारा क्रांति के जरिए ही महिलाएं एकदा एवं सर्वदा मुक्त हो सकती हैं।

दुर्भाग्यशाली घटना क्रम

लेनिन के उसी देश में आज कई चीजें हो रही हैं। मास्को के सरकारी संचार माध्यमों के समाचार 'हमें परेशान करते हैं। सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था अपनाने की घोषणा की है। उपभोक्ता वस्तुओं का संकट है। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो यह सुनकर हुआ कि राष्ट्रपति गोर्बाच्योव को लेनिन-रूसी क्रांति के पुरोधा—पर आक्रमण करने मनाही करनी पड़ी। उन्हें अध्यादेश जारी करने पड़े कि "उनका सम्मान हो तथा सोवियत लोगों के स्मारकों की इज्जत की जाए।"

हमें यह सुनकर भी काफी क्षोभ, गुस्सा और दुःख हुआ कि जार्जिया में लेनिन की मूर्ति हटा दी गई और पार्टी नेता जिवी गुंबारिद्से को अपना शरीर लगाकर लम्पटों से मूर्ति बचानी पड़ी। बेशक बड़े साहस का काम किया उन्होंने। लेकिन अंततः इसे "गिरा दिया गया, उठाकर ले जाया गया और हजारों जार्जियाई प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाते रहे।" काफी खेद की बात है कि लेनिन की मूर्ति पर कीचड़ उछाले जाते हैं···कम्युनिस्ट सिद्धांतों में विश्वास रखनेवालों पुरुषों व महिलाओं को मास्को से आती ऐसी खबरें गहरा धक्का पहुंचाती हैं। का० स्टालिन की उपलब्धियां तो पहले ही हवा में उड़ा दी गई हैं। लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेनिन का भी ऐसा हश्र होगा!

नारियों की वर्तमान मुश्किलें

हां, हम समझ सकते हैं कि महिलाओं को आज गंभीर मुश्किलें पेश आ रही हैं, अनिवार्य वस्तुओं की कमी है, घंटों तक क्यू में खड़ी होकर इंतजार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। हम पार्टी नेतृत्व, फैक्टरियों के प्रबंधन आदि की लालफीताशाही भी समझ सकते हैं; कि जनवाद का खयाल न रखते हुए असंख्य लोगों को शिकार बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इसे भी दुरुस्त किया जा रहा जातिवादी समस्याओं ने गंभीर मोड़ ले लिया, और दंगों में कई जानें गईं। हमें दुख महसूस होता है कि क्रांति के बाद 12 वर्षों में भी ऐसी चीजें हो रही हैं और पार्टी का नियंत्रण है ही नहीं। महिलाओं को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि पूर्वी यूरोपीय देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने नाम बदलकर समाजवादी-जनवादी पार्टियां रख लिए हैं। पार्टी नेताओं ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के तमाम सिद्धांतों पर प्रश्न टांके हैं—इस हद तक कि वहां मजदूर व आम लोग पूँजीवाद की वापसी को ज्यादा लाभदायक मानने की बात करने लगे हैं। यद्यपि खाड़ी क्षेत्र तथा अन्य जगहों पर अमरीकी तोप की गर्जनाएं सुनाई पड़ रही हैं पर ये नेता अपने दस्तावेजों में साम्राज्यवाद शब्द की चर्चा तक नहीं करते।

ये काफी गंभीर बातें हैं और पूरे भारत के लोग इस

पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं ।

अभी हाल में, सोवियत महिला कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती जोया पुरखोवा का इंटरव्यू नोवोसी प्रेस की येलेना कैट्ल्यास्कोया ने लिया । उनके कुछ उत्तर गौरतलब है । उन्होंने सोवियत महिलाओं की कई समस्याओं की चर्चा की । उनके अनुसार कामकाजी महिलाओं की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है—

"वे ज्यादातर कमदक्षतावाले कामों में लगी हैं…और मात्र 1.5 प्रतिशत ने उच्चतम स्तर प्राप्त किया है।" आगे, "औसतन महिलाओं की योग्यता कम होती है।" 1987 में तलाकों का प्रतिशत प्रति हजार 3.49 था। कुछ अन्य स्रोतों के मुताबिक यह दर और ज्यादा है जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के 700,000 बच्चे बिना मां-पिता के हो गए हैं । वेश्यावृत्ति की समस्या भी काफी गंभीर बताई जाती है । महिलाओं की गृहस्थी का भार बदस्तूर जारी है "उनमें से (पतियों) कईयों ने घरेलू कामकाज में हाथ बंटाने से इंकार कर दिया हैं।" हम अपने अनुभव से जानती हैं कि एक पुरुष प्रधान समाज से सामंती प्रवृत्तियां हटाना कितना मुश्किल है । लेकिन इतने सालों बाद भी सोवित संघ में इन प्रवृत्तियों की उपस्थिति पर रोष होता है ।

लेनिन गृहस्थी के पचड़े पर

गृहस्थी के पचड़ों पर भी लेनिन ने यदा-कदा अपने विचार व्यक्त किये । "महान प्रारंभ" में उन्होंने कहा, "महिलाओं की मुक्ति के तमाम कानूनों के बावजूद वे घरेलू दासियां बनी हुई हैं क्योंकि घर चलाने के छोटे-मोटे धंधे उसे पीस देते हैं, उसे रसोई और बच्चों से बांध कर रख देते हैं और वह अनुत्पादक कार्यों में अपने स्नायुओं को तानती रहती हैं… " आगे उन्होंने कहा है, "महिलाओं की असली मुक्ति, असली साम्यवाद, तभी शुरू होगा जब और जहां इस क्षुद्र गृहस्थी के खिलाफ एक संपूर्ण संघर्ष शुरू होगा, या व्यापक समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका पूरा रूपांतरण शुरू हो जाता है…" (पृ. 66, लेनिन : नारी मुक्ति) ।

अपनी एक और रचना में उन्होंने लिखा, "घर के कामों के चलते महिलाएं अभी भी एक अलग स्थिति में हैं । पूरी मुक्ति पाने के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समाजीकरण जरूरी हैं और महिलाओं का उत्पादक प्रक्रिया में हिस्सा लेना भी । तब महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा हासिल हो जाएगा।"

और रोचक बात है कि उन्होंने चेतावनी भी दी थ कि "इस कार्य में कई, कई साल लगेंगे…।" यह स रिपोर्टों के अनुसार सोवियत संघ में काफी गंभीर हो है । अपने तमाम लेखन में लेनिन की यह एक आम है कि मजबूर वर्ग महिलाओं को रसोई से बाहर निक हम सोवियत नारियों की पीड़ा, एवं यातना समझ स हैं कि क्रांति के 73 वर्षों बाद भी उन्हें घर चलाने ए बच्चों का पूरा बोझ अपने कंधों पर लेना पड़ता है। पुरुषों से उन्हें मदद नहीं मिलती । आंकड़ों के अनुसार गृहस्थी में मदद करनेवाले पुरुषों की संख्या नगण्य है । श्रीमती पुरखोवा इंटरव्यू के अंत में आशान्वित थी कि स्थिति सुधरेगी । उन्होंने कहा, "महान अक्टूबर क्रांति की 70 वीं वर्षगांठ 1987 में मनाई गई । याद कीजिए कि इतिहास में पहली बार, सोवियत सत्ता अधिग्रहण के चंद दिनों बाद ही, महिलाओं की पुरुषों की तुलना में संपूर्ण समता की घोषणा की गई और समाज तथा परिवार में उनको अवमानित करनेवाले तमाम कानूनों को रद्द किया गया । अक्टूबर क्रांति ने महिलाओं के प्रति मानवीय मानसिकता नैतिकता तथा कई प्रचलित विचारों में बदलाव लाया । हमारे इतिहास की सभी अवधियों में—चाहे गृह युद्ध या देशभक्ति युद्ध, समाजवाद के निर्माण अथवा युद्धोत्तर पुनर्स्थापना की हो—सोवियत नारियों ने अपने देश को निराश नहीं किया । महिला समस्याओं को सुलझाने वाल में से हम कई अर्थों में अग्रणी थीं और अग्रणियों मुश्किलें तो ज्यादा होती ही हैं। हमसे गलतियां भी हैं । हम उनके बारे में आज स्वतंत्र ढंग से, ऊंचे मंचो बोलते हैं । लेकिन इसमें कोई शक नहीं—और यह सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के समस्त अनुभव सिद्ध हो चुका है—कि सामाजिक उत्पादन में तथा भौतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की रचना में महिलाओं की शिरकत सामाजिक प्रगति की अपरिहार्य शर्त्त हैं…" हमें विश्वास है कि सोवियत नारियां लेनिन की समझ से जुड़ी रहेंगी कि सामाजिक उत्पादन में नारी के सहभाग से ही उनकी पूर्ण मुक्ति होगी, (चाहे चौका-बर्तन ही क्यों न हो), और इसमें बेशक कुछ वक्त लगेगा ।

हमारी नारियां उनके मुक्ति संघर्षों के लिए अपना साधुवाद देती हैं । हमें आशा है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर चलते हुए, जिसका पाठ महान लेनिन ने हमें पढ़ाया, और जिनके आधार पर अक्टूबर क्रांति में महिलाओं को समता प्रदान की गई, वे अपनी-समस्याओं का समाधान ढूंढेंगी ।